11 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना गुरूवार, दिनांक 26 जून 2014

Notice for 11th Annual General Meeting

Thursday, June 26, 2014



बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005) (Head Office: 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

नोटिस	3	Notice	24
टिप्पणियाँ	4	Notes	26
व्याख्यात्मक विवरण ; मद क्र. 3 अधिमान निर्गम	12	Explanatory Statement ; Item No. 3 Preferential Issue	34
मद क्र. 4 : शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन	14	Item No. 4: Election of shareholder director	36
संबंधित अधिनियमों और योजनाओं का सार	16	Extracts of relevant Acts and Schemes	38
नामांकन फॉर्म	47	Nomination Form	48
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र49	- 51	Declaration and undertaking by the candidate 50 8	k 54
उपस्थिति पर्ची/प्रवेश पर्ची	57	Attendance slip / Entry Pass	58
प्रॉक्सी फॉर्म	59	Proxy form	60
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल	61	Green Initiative in Corporate Governance	62
ईसीएस प्रारूप	63	ECS Form	63

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 संलग्न है ANNUAL REPORT 2013-14 ENCLOSED

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें

IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date		
वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा निर्वाचन में	30 मई 2014		
भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु			
निर्धारित तारीख			
Specified date for ascertaining shareholders	30 May 2014		
eligibility to attend AGM and participate in election			
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	12 = 7 2014		
Last date for receipt of nomination	12 জুন 2014 12 June 2014		
नामांकनों की संवीक्षा	13 जून 2014		
Scrutiny of nominations	13 June 2014		
ई-वोटिंग अवधि	20 जून 2014 को सुबह 10.00 बजे से 22 जून 2014 को सायं 5.00 बजे तक		
e-voting period	From 10 am on 20 June 2014 to 5 pm on 22 June 2014		
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फॉर्म	21 जून 2014 को दोपहर 2.00 बजे तक		
और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख			
Last Date for receipt of Proxy Forms and	21 June 2014 by 2 pm		
resolutions for appointing authorised			
representatives			
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान	26 जून 2014 सुबह 10.30 बजे		
	अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल'		
	1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005		
Date Time and venue of Annual General	26 June 2014 at 10.30 am,		
Meeting	Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005		



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नोटिस

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरूवार दिनांक 26 जून 2014 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

सामान्य व्यवसाय

- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और 31 मार्च 2014 के तुलनपत्र, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अविध के दौरान बैंक की गितविधियों तथा कार्यीनष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।
- 2. 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा करना और अंतरिम लाभांश के भुगतान की पृष्टि करना।

विशेष व्यवसाय :

- 3. निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:
 - "प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनयम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमित, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर) विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमित एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई सिमिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है।"
 - क) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार को अधिमान आधार पर भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 588 करोड़ समग्र हेतु ₹ 10,00,000/- प्रत्येक अंकित मूल्य वाले 5880 पीएनसीपीएस के परिवर्तन द्वारा कुल ₹ 587,99,99,977.66 (रु. पांच सौ सतासी करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर और छियासठ पैसे मात्र) के अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक नकद के 13,33,63,574 ईक्विटी शेयरों को रु.34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सिहत रु.44.09 के परिवर्तन मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।
 - ख) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(4) के अनुसरण में यथानिर्धारित एलआईसी और/या भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को अधिमान आधार पर ₹ 10/- प्रति अंकित मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹400 करोड़ (चार सौ करोड़ मात्र) के 9,07,23,520 ईक्विटी शेयरों को ₹ 34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹44.09 प्रति शेयर नकद मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।

"प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मुल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 27 मई 2014 है।"

"प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां, बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमित, अनुमित तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।"

"यह भी प्रस्ताव है कि उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे।"

"यह भी प्रस्ताव है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां



नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।"

"यह भी प्रस्ताव है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतदद्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेत् शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतू आवश्यक, उचित तथा वांछित हों।"

"यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्द्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।"

केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से **एक** निदेशक का निर्वाचन करना जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (भविष्य में "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में "विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (भविष्य में "योजना"के रूप में संदर्भित) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (भविष्य में "विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 (भविष्य में "भारिबैं अधिसूचना" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा जिनके संबंध में निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हए हैं -

"प्रस्ताव किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक एतदद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह निर्वाचन के दिनांक से/ निर्वाचित माने गए दिनांक से कार्यभार ग्रहण करे और वह तीन वर्षों की अवधि तक कार्यभार संभालेंगे।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 26 मई 2014

स्थान : पुणे

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

बैठक में किए जाने वाले कामकाज संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं। 1.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा समकक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों हेतु कुल 10 प्रतिशत के मतदान अधिकार से अधिक मतदान अधिकार का पात्र नहीं

उपर्युक्तानुसार, केन्द्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक का, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में कुल मतदान अधिकारों के अधिकतम 10 प्रतिशत के अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतू एक मत होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा।

प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को बैंक के कार्य समापन समय या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।



4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची साधारण सभा के स्थान पर देने की कृपा करें। प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

6. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 31 मई 2014 से सोमवार 02 जून 2014 (दोनों दिन मिलाकर) ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक और ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग तथा निदेशक के निर्वाचन में सहभागिता के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे।

7. अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(बी) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से 7 वर्ष की अविध तक अप्रदत्त/अदावी रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई बही दावा नहीं रहेगा।

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2003-04 और इसके बाद के वित्तीय वर्ष से अप्रदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियां अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित किए जाने के दिनांक से सात वर्ष के पश्चात निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तक उनका लाभांश प्राप्त नहीं किया है / भुनाया नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध दावे पंजीयक और अंतरण एजेंट - एमसीएस लि. को प्रस्तुत करें।

8. शेयर अंतरण फार्म्स का प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र.9 में दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाएगा ताकि 30 मई 2014 को या उससे पूर्व उनके कार्यालय में प्राप्त हो जाये।

9. पते में बदलाव

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजें:

एमसीएस लिमिटेड.

(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),

ऑफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर

काशीराम जमनादास बिल्डिंग,

5, पी.डिमेलो रोड(घडियाल गोदी),

मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009

फोन: (022) 2372 6253 -56

फैक्स : (022) 2372 6252

ई-मेल: uday_mcs@yahoo.in

डिमैट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपेन्टस को दें.



10. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा - एन-ईसीएस/इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवाएं (ईसीएस) और बैंक के ब्योरों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को, जहां उपलब्ध हो, वहां एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी केंद्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रानिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने ईसीएस अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं।

- 11. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक साधारण सभा में अपने साथ लाएं।
- 12. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाएं तािक प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके। शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. ई-वोटिंग

बैंक ने सहर्ष अपने सभी सदस्यों को एक वैकल्पिक रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, तािक दिनांक 26 मई 2014 के वार्षिक साधारण बैठक नोटिस (एजीएम नोटिस) में वर्णित अनुसार प्रस्तावों के बारे में इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान कर सकें। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सिचव श्री राघवेंद्र जोशी (आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज़, पुणे के भागीदार) को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों का निर्धारण दिनांक 30 मई, 2014 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर होगा ।

सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं :

क. ई-मेल प्राप्तकर्ता सदस्यों के मामले में :

- i. यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है और किसी भी कंपनी के लिए ईवीएसएन हेतु मतदान किया है तो आपका वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग किया जाए ।
- ii. ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।
- iii. मतदान करने हेतु 'शेयरधारक' बटन पर क्लिक करें ।
- iv. ड्राप डाउन मेन्यु से कंपनी के नाम के साथ 'इलेक्ट्रानिक वोटिंग क्रमांक' (ईवीएसएन) का चयन करके 'सबिमट' बटन क्लिक करें ।
- v. अब दिए गए बॉक्स में निम्नलिखित विवरण भरें :

	डी-मैट रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु		
यूजर-आईडी	एनएसडीएल हेतु - 8 वर्णीय डीपीआईडी और 8 अंकीय क्लाइंट आईडी		
	सीडीएसएल हेतु - 16 अंकीय लाभार्थी आईडी		
स्थाई खाता (पैन) क्रमांक*	ई-वोटिंग करते समय प्रणाली द्वारा मांगने पर आयकर विभाग द्वारा जारी 10 एल्फा-न्यूमेरिक पैन क्रमांक डालें (डी-मैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू		
जन्मदिनांक [#]	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपना जन्मदिनांक डालें, जो आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो ।		
लाभांश बैंक विवरण [#]	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु लाभांश बैंक का विवरण डालें, जो आपके डी-मैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो ।		

* ऐसे सदस्यों, जिन्होंने बैंक/निक्षेपक भागीदार के पास अपना स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नोट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे पैन क्रमांक के स्थान पर "BOMEV1234Z" डालें ।



- # लॉग-इन हेतु कृपया कोई एक ब्यौरा डालें । यदि किसी मामले में कोई भी ब्यौरा डिपॉजिटरी के पास दर्ज न हो तो कृपया जन्मदिनांक कॉ लम में '01/01/1990' अथवा लाभांश बैंक के विवरण कॉलम में 'धारित शेयरों की संख्या' डालें । उदाहरणार्थ, यदि आपके पास 100 शेयर हैं तो 'धारित शेयरों की संख्या' कॉलम में 100 डालें ।
- vi. यह विवरण समुचित रूप से भरने के बाद "सबिमट''बटन पर क्लिक करें ।
- vii. इसके बाद, शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप के शेयर हैं, सीधे ईवीएसएन चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। जबिक डी-मैट स्वरूप के शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रीएशन' मेन्यू में पहुंच जाएंगे। इस नये पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यत: अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। नया पासवर्ड न्यूनतम आठ वर्णीय होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम एक कैपिटल (A-Z) लेटर, एक नॉर्मल (a-z) लेटर, एक (0-9) संख्या और एक विशेष चिन्ह (स्पेशल कैरेक्टर -@#\$%&★) होना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि यही पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। हमारी पुरजोर सिफारिश है कि अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखें। कृपया नोट करें कि यह बदला हुआ पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा कंपनी या किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो
- viii. मतदान हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें ।
- ix. वोटिंग पृष्ठ पर आपको प्रस्ताव का ब्यौरा मिलेगा और उसके सामने मतदान हेतु 'हां'/'नहीं' का विकल्प दिया गया होगा । आपकी इच्छानुसार विकल्प 'हां'/'नहीं' का चुनाव करें। 'हां' विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ है कि आप इससे असहमत हैं ।
- x. हां/नहीं विकल्प में अपने शेयरों (जो आपके मतों (वोट) की संख्या दर्शाते हैं) की संख्या डालें अथवा आप 'हां' और 'नहीं' में कोई भी संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'हां' और 'नहीं' में डाली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- xi. यदि आप सभी प्रस्ताव देखना चाहते हों तो कृपया 'प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन) फाईल लिंक' पर क्लिक करें ।
- xii. उस प्रस्ताव, जिस पर मतदान का आपने निर्णय लिया हो, का चयन करने के बाद 'सबिमट' बटन पर क्लिक करें। मत की पुष्टि के लिए एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ठीक है' (ओके) पर क्लिक करें, अन्यथा 'निरस्त' (कॅन्सल) पर क्लिक करें और उसके बाद संशोधित मत डालें।
- xiii. प्रस्ताव पर मत की पृष्टि करने के बाद मत में संशोधन की अनुमित नहीं होगी।
- ख. वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में (उन सदस्यों के लिए जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/निक्षेपक भागीदार(रों) के पास पंजीकृत नहीं हैं या उन्होंने भौतिक प्रति का अनुरोध किया हो।
 - क. मतदान हेतु कृपया ऊपर दिए गए क्रमांक (ii) से (xiii) तक के सभी चरणों का अनुपालन करें।
 - ख. संस्थागत शेयरधारक (वैयक्तिक, हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) के लिए आवश्यक है कि वे https://www.evotingindia.co.in पर लॉगऑन करके स्वयं को पंजीकृत करें, उस खाते को लिंक करें जहां वे मतदान के इच्छुक हों और उसके बाद अपना मतदान करें । मत का सत्यापन करने हेतु संवीक्षक हेतु निदेशक मंडल प्रस्ताव की पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन की गई प्रति सिस्टम में अपलोड करें ।
 - ग. वोटिंग अविध शुक्रवार दिनांक 20 जून 2014 प्रात: 10.00 बजे से आरंभ होकर रिववार दिनांक 22 जून 2014 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी । इस अविध के दौरान कंपनी के शेयरधारक चाहे उनके पास भौतिक फॉर्म या डीमटेरियलाज्ड फॉर्म के शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कट-ऑफ (अभिलेख दिनांक) 30 मई 2014 को अपना मतदान कर सकते हैं । यह अविध बीत जाने पर सीडीएसएल द्वारा वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय (डिसेबल) कर दिया जाएगा। किसी प्रस्ताव पर शेयरधारक द्वारा मतदान करने के बाद उसमें संशोधन की अनुमित नहीं होगी।
 - घ. ई-वोटिंग के बारे में यदि आपकी कोई शंका या मुद्दे हैं तो आप बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग मैन्युअल, जो www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध है, की सहायता लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें।



ग. सामान्य अनुदेश :

- क. इस फोलियो के उपयोगकर्ता (यूजर) प्रोफाईल में आप अपना मोबाईल नंबर और ई-मेल आईडी दे सकते हैं। भविष्य में सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग की सूचना भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकेगा। यदि सदस्य पासवर्ड भूल जाएं और इसे रिसेट करना पड़े. तब भी यह जानकारी उपयोगी रहेगी ।
- ख. आपको सूचित किया जाता है कि आप केवल एक माध्यम (ई-वोटिंग अथवा वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान) से ही मतदान करें । यदि आप दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं तो केवल ई-वोटिंग के माध्यम से किए गए मतों पर ही विचार किया जाएगा और बैठक के दौरान दिए गए आपके मत खारिज हो जाएंगे।
- क. ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक अथवा उनके भागीदार निक्षेपक के पास पंजीकृत है, को वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फॉर्म सहित वार्षिक साधारण सभा का नोटिस ई-मेल द्वारा और अन्य को डाक/कोरियर द्वारा भेजा जा रहा है ।
- घ. संवीक्षक का ईमेल पता : bomevoting@aptejoshi.com है।
- 14. शेयरधारक निदेशक के पद हेतु चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट दिनांक।

दिनांक 20 मई 2014 के नोटिस द्वारा दी गई घोषणा, जो दिनांक 21 मई 2014 के समाचारपत्र में प्रकाशित हुई, वार्षिक साधारण बैठक और चुनाव में अर्थात नोटिस में दिए अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र शेयरधारकों के नामों के निर्धारण हेतु 30 मई 2014 को विनिर्दिष्ट दिनांक ठहराया गया है।

15. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

- अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -
 - (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा
 - (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो. या
 - (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो
- अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे "उपयुक्त और उचित" (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए। साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

16. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या



- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत बैंक के नामित बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर धारित करता है तथा
- (ङ) यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08, व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 के अनुसार उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया गया।

17. निदेशक का कार्यकाल

बैंक के बोर्ड में उत्पन्न शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक को 14 जून 2014 से कार्यग्रहण करना माना जाएगा (यदि 13.06.2014) को नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत यदि केवल एक वैध उम्मीदवार पाया गया)। यदि संवीक्षा के उपरांत एक से अधिक उम्मीदवार वैध पाए गए, तो एक निदेशक की रिक्ति को बैठक के दिनांक को भरा जाएगा और नए निदेशक 27 जून 2014 को कार्यभार संभालेंगे।

योजना की धारा 11-बी (2) के अनुसार इस प्रकार चुना गया व्यक्ति 27 जून 2014 से 3(तीन) वर्ष की अवधि अर्थात 26 जून 2017 तक कार्यभार संभालेगा। शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक जो कि उक्त अधिनियम धारा 9(3ए) के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, को हटाने के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार से संबंधित है।

18. प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लडने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की निर्दिष्ट दिनांक अर्थात, **शुक्रवार 30 मई 2014** तक अद्यतन सूची बैंक के प्रधान कार्यालय, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 से उपलब्ध होगी। इसकी एक प्रतिलिपि, सोमवार, 02 जून 2014 से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे पर संदेय किसी भी अनुसूचित बैंक का रु.1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का मांग ड्राफ्ट/ पे आर्डर जमा कर और सॉफ्ट प्रति के लिए रु.25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) के पूर्व भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं।

19. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर भी बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए सभी कार्यीदवसों पर (रिववार और बैंक अवकाश छोड़कर) अर्थात सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 3.00 से सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को प्रात: 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर की अथवा इसके किसी भाग की प्रतियों की अथवा कंप्यूटर मुद्रित प्रतियों की मांग करता है, तो प्रतियां लिए जाने वाले प्रति हजार शब्दों या उसके अंश के लिए रु.5.00 के पूर्व भुगतान पर उसे इसकी आपूर्ति की जाएगी।

20. चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम शुक्रवार 30 मई 2014 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरडीए द्वारा प्रस्तुत अनुसार सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रिजस्टर में उपलब्ध हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात, नामांकन, चुनाव लडने और मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार बैठक के दिनांक से पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक (अर्थात शुक्रवार 30 मई 2014) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान के समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

21. चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 65 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन वैध होगा:



- (क) उसकी शेयरधारक के रूप में धारिता शुक्रवार 30 मई 2014 को चुनाव में सहभागिता हेतु निर्दिष्ट दिनांक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में न्यूनतम 100 शेयर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/ बेकागजीकृत रूप में होनी चाहिए और गुरूवार 26 जून 2014 तक यदि वह चुना जाता है तो उसके पश्चात न्यूनतम 100 शेयर उसके पास होने चाहिए।
- (ख) नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक अर्थात गुरूवार 12 जून 2014 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र.डीबीओडी.बीसी. क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार उसे निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंधों में कोई बकाया मांग नहीं होनी चाहिए।
- (घ) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते कि एक कंपनी के रूप में शेयरधारकों द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए संकल्प से किया जा सकता है, और इस संकल्प की सत्य प्रति के रूप में बैठक, जिसमें कि यह पारित हुआ हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (ङ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन, उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्यौरे सिंहत घोषणा के साथ होना चाहिए जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या रिजर्व बैंक के अधिकारी या अन्य राजपत्रित अधिकारी या एश्योरेन्स के पंजीयक या उप पंजीयक, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, इस सूचना में प्रस्तुत घोषणा और नामांकन के नमूने फॉर्म के अनुसार होना चाहिए और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव में खडे रहने के लिए इच्छुक है और यह कि वह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं किया गया है और यह कि उसने अपने वैयक्तिक ब्यौरे जो कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है संलग्न किए हैं और यह कि वह घोषणा के अनुवर्तन में जानकारी से संगत कोई भी बात यथासंभव यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः अवगत करने की वचनबद्धता करता है।
- (च) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियम द्वारा निर्धारित अनुसार तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं (प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है)।

22. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो "शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - एजीएम 2014" महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सिहत वार्षिक साधारण बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से कम से कम 14 दिन पूर्व अर्थात गुरुवार 12 जून 2014 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात सायं. 5.00 बजे से पूर्व निम्निलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

- (क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म
- (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा बायोडेटा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र

23. नामांकनों की संवीक्षा

(i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक के आगामी पहले कार्यदिवस अर्थात शुक्रवार 13 जून 2014 को की जाएगी और कोई नामांकन वैध न पाए जाने की स्थिति में इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए इसे अस्वीकृत किया जाएगा।



- (ii) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 1 नवंबर 2007 तथा 23.05.2011 के "उपयुक्त और उचित" दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा समुचित सावधानी जांच के अधीन रहेगी।
- (iii) चुनाव के द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति के लिए यदि केवल एक नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और उम्मीदवार शनिवार 14 जून 2014 को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (iv) यदि वैध नामांकन, चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा घोषित किया जाएगा तथा समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा और उम्मीदवार 27 जून 2014 को कार्यभार ग्रहण करेगा।
- (v) यदि इस संबंध में कोई विवाद है तो इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 67 के अनुसार निपटान किया जाएगा।

24. नामांकनों को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपने नामांकन को वापस लेना चाहता है, तो बैंक के समापन समय से पूर्व अर्थात बुधवार 25 जून 2014 को सायं 5.00 बजे से पहले किसी भी समय पत्र या फैक्स भेज कर उसे ऐसा करने का अधिकार होगा।

25. मतदान का अधिकार

अधिनियम की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक से मतदान अधिकारों का इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होगा।

उक्त के अधीन विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक जो कि बैठक के दिनांक से पूर्व निर्दिष्ट दिनांक (अर्थात शुक्रवार 30 मई 2014) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हुआ है, उसे हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान की समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो मतदान के संदर्भ में रिजस्टर में पहले नाम वाले व्यक्ति को एकल धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को ही बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा और बैठक में केवल उसी को मतदान करने का (मतदान या हाथ उठाने के द्वारा) अधिकार होगा।

26. शेयर धारकों से अनुरोध है कि बैठक में सूचना की उनकी प्रतियां साथ लाएं।



व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र. 3

सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की शर्तों के अधीन प्रस्तुत किया जानेवाला आवश्यक

व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

क) वरीयता निर्गम के उद्देश्य -

पूंजी पर्याप्तता से संबद्ध बासल II और III के अनुपालन की दृष्टि से पूंजी उगाहने की बढ़ती हुई आवश्यकता सदैव रहती है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त बासल II और बासल III पूंजी आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी पर्याप्तता बनाए रखता है।

बासल-II के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक को जोखिम भारित आस्तियों (सीआरएआर) से पूंजी का अनुपात न्यूनतम 9 प्रतिशत रखना अनिवार्य है इसमें से कम से कम 6 प्रतिशत टियर - I पूंजी होनी चाहिए। 31 मार्च 2014 के बैंक के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बासल-II के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.11 प्रतिशत था, जिसमें से टियर- I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.75 प्रतिशत था। 31.03.2014 को बासल III के अंतर्गत कुल सीआरएआर 9.00 प्रतिशत अपेक्षित था जिसमें से सामान्य इक्विटी टियर - I 5.00% था और कुल टियर - I पूंजी अपेक्षा 6.50% थी। 31 मार्च 2014 को बैंक के लेखापरीक्षित विवरणों के अनुसार बासल- III के अनुसार बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.79% था जिसमें से टियर- I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.44% था (सामान्य इक्विटी टियर - I 6.69% रहा और अतिरिक्त टियर - I पूंजी 0.75% रही)।

बासल III के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों से अपेक्षा है कि 31.03.2015 तक पूँजी का कम से कम 9% जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के अंतर्गत रखें एवं 31.03.2019 तक इसमें धीरे-धीरे 11.50% तक की बढोतरी होगी, जिसके लिए 31.03.2015 से सामान्य इक्विटी टीयर I पूँजी की आवश्यकता 5.50% एवं कुल टीयर I पूँजी की आवश्यकता 7% होगी. 31.03.2016 से पूँजी संरक्षण भंडार के लागू होने से इक्विटी पूँजी के रूप में पूँजी की आवश्यकता बढ़ी है क्योंकि भंडार की आवश्यकता में वर्ष दर वर्ष, 31.03.2016 में 0.625% से 31.03.2019 में 2.50% की दर से बढोतरी हुई है, इसलिए कुल पूँजी आवश्यकता में 9% से 11.50% की वृद्धि हुई है।

बासल III कैप के हानि अवशोषित शर्त, आईपीडीआई एवं टीयर II बांड की बढोतरी के सीमित गुंजाइश एवं बासल III के अंतर्गत इक्विटी पूँजी के रूप में बढती पूँजी की आवश्यकता एवं व्यवसाय विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए, बैंक को पूँजी की अतिरिक्त आवश्यकता होने का अनुमान है और इसलिए जुटाई गई पूँजी का इस्तेमाल व्यापार विकास हेतु पूँजी पर्याप्तता की पूर्ति हेतु किया जाएगा।

- क) भारत सरकार ने अपने सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर पूँजी (पीएनसीपीएस) के इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने का प्रस्ताव रखा है. पीएनसीपीएस के रूपांतरित होने के पश्चात् प्रस्तावित इक्विटी शेयर अधिमान निर्गम के माध्यम से बैंक के प्रवर्तक, भारत सरकार को आबंटित की जाएगी।
- ख) बैंक ने निकट भविष्य में अधिमान निर्गम द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम और/ भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को इक्विटी शेयरों का आवंटन कर अपनी निधि को मजबूती प्रदान करने के लिए अतिरिक्त इक्विटी पूँजी प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है।

पीएनसीपीएस के रूपांतरण के लिए कुल रू. 588 करोड़ का प्रस्ताव

भारत सरकार ने बैंक के सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर हेतु बैंक को कुल रू.588 करोड़ की निधि प्रदान की है। बैंक ने प्रत्येक रू.10,00,000 अंकित मूल्य के 5880 अधिमान शेयर रेपो दर के न्यूनतम मानदंड पर एक कूपन के साथ जारी किया है जिसे संबंधित तारीख को 100 आधार अंकों के प्रसार के साथ लागू रेपो दर पर वार्षिक रूप से पुन: समायोजित किया जाएगा।

बासल III मानदंड के अनुसार टीयर I पूँजी के अंतर्गत भारत सरकार के सतत गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीनएनसीपीएस) के कुल अंकित मूल्य रू. 588 करोड़ को 100% मान्यता नहीं दी जाएगी। तदनुसार, बासल III की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक ने भारत सरकार से अपने संपूर्ण पीनएनसीपीएस को इक्विटी में रूपांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया था। इसके अतिरिक्त पीनएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण से टीयर I/ टीयर II पूँजी के तहत बासल III के अन्तर्गत शिकायत बांडों को ऊपर उठाने हेतु शीर्ष का निर्माण किया जाएगा और पात्र संस्थागत क्रमस्थानों (क्यूआईपी)/सार्वजनिक प्रस्तावों के जिए इक्विटी जारी करने के लिए गुंजाइश रहेगा। भारत सरकार ने अपने दिनांक 16 अप्रैल 2014 के पत्र क्रमांक एफ.क्र.11/17/2013-बीओए द्वारा शेयरधारकों, सेबी एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन पीएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण की स्वीकृति दे दी है।

पीएनसीपीएस के इक्विटी में रूपांतरण से भारत सरकार के बहिर्गमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।



31 मार्च 2014 को जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधि निम्नानुसार है-

विवरण	राशि करोड (रुपए) में	जोखिम भारित आस्ति हेतु पूंजी निधि का % (बासल — III)
जोखिम भारित आस्तियां	84,384.15	
सामान्य इक्विटी पूंजी	5,640.70	6.69
अतिरिक्त टियर I	635.85	0.75
टियर- I पूंजी	6,277.54	7.44
टियर -II पूंजी	2,826.87	3.35
टियर-III पूंजी	9,104.41	10.79

- क. सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के पाठ VII के अनुसार निर्गम मूल्य का निर्धारण किया गया है।
- ख. ईक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम से पूर्व एवं पश्चात बैंक की शेयरधारिता पद्धति:

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व 31 मार्च 2014 की स्थिति		निर्गम उपरांत 30 जून 2014 की स्थिति		
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का $^{9\!\!/_{\!$	
क	प्रवर्तक की धारिता					
1	प्रवर्तक					
	भारत सरकार	715010200	85.21	848373774	79.80	
	विदेशी प्रवर्तक	-	-	-	-	
2	संगठित रूप से कार्यरत व्यक्ति	-	-	-	-	
	उप जोड़	715010200	85.21	848373774	79.80	
ख	गैर प्रवर्तक धारिता					
3	संस्थागत निवेशक					
क	म्युच्युअल फंड और यूटीआई	961271	0.11	961271	0.09	
ख	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/ राज्य सरकारी संस्थाएं/ गैर-सरकारी संस्थाएं)	58333449	6.95	149056969	14.02	
ग	वित्तीय संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	4014024	0.48	4014024	0.38	
	उप जोड़	63308744	7.54	154032264	14.49	
4	अन्य					
क	निजी कारपोरेट निकाय	6843222	0.82	6843222	0.64	
ख	भारतीय जनता	52322411	6.23	52322411	4.92	
ग	एनआरआई/ओसीबी	1484150	0.18	1484150	0.14	
घ	अन्य कोई	127100	0.02	127100	0.01	
	उप जोड़	60776883	7.25	60776883	5.71	
	कुल जोड़	839095827	100.00	1063182921	100.00	



- ग. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 में दी गई निर्धारित समय सीमा में निर्गम की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु बैंक प्रयासरत है।
- घ. चूंकि भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंक के प्रवर्तक और प्रमुख शेयरधारक, भारत सरकार, को निर्गम प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31.03.2014 को)	715010200	85.21
निर्गम के पश्चात	848373774	79.80

निर्गम से पूर्व एवं पश्चात भारतीय जीवन बीमा निगम की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूंजी से %
निर्गम से पूर्व (यथा 31.03.2014 को)	56063963	6.68
निर्गम के पश्चात	146787483	13.81

- ड. बैंक का ईक्विटी शेयर छ: महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध है और तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2009 के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- च. अधिमानी निर्गम के अंतर्गत भारत सरकार को जारी और आबंटित किए जाने वाले सभी प्रस्तावित शेयर, इक्विटी शेयरों के "क्रय-विक्रय अनुमोदन" की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे और भारतीय जीवन बीमा निगम को आबंटित शेयर नए इक्विटी शेयरों के क्रय-विक्रय अनुमोदन के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे।
- छ. भारत सरकार की संपूर्ण पूर्व-अधिमानी शेयर धारिता ईक्विटी शेयरों के आबंटन की तारीख से छह माह की अवधि, जो संबंधित तारीख से प्रारंभ होगी, के लिए अवरूद्ध रहेगी।
- ज. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा कि निर्गम इन विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार जारी किया जा रहा है।
- झ. बैंक स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ईक्विटी शेयरों की निरंतर सूचीकरण शर्तों का अनुपालन कर रहा है।
- त्र. भारत सरकार ने संबद्ध तारीख से पूर्व छह माह के दौरान बैंक के किसी ईक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है। साथ ही, जारीकर्ता बैंक मे भारत सरकार द्वारा धारित सभी ईक्विटी शेयर बेकागजीकृत स्वरूप में हैं ।
- ट. सार्वजनिक हित के साथ बीमा कंपनी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के विनियम 72(2), जो संबंधित दिनांक के पूर्ववर्ती छ: माहों के दौरान इक्विटी शेयरों का विक्रय न किए जाने से संबंधित है, के प्रावधानों से छूट दी गई है।
- निदेशक मंडल नोटिस में उल्लेख किए गए विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करता है।
- ड. संकल्प में निहित प्रस्ताव से बैंक के किसी भी निदेशक का कोई संबंध नहीं है या उनका कोई हित नहीं जुड़ा है।

मद क्रमांक 4 : एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निदेशक के निर्वाचन के हेतु शेयरधारकों के अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की 14.79% शेयर पूंजी धारित करते हैं। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम एक शेयरधारक के लिए पात्र है।

शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) द्वारा निर्वाचित दो निदेशकों डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल और डॉ. आर.के. अग्रवाल का कार्यकाल 31.01.2014 को समाप्त हो गया।

तदनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक के निर्वाचन के लिए आवश्यक संकल्प पारित करने हेतु वार्षिक सामान्य बैठक के लिए नोटिस में एजेंडा की एक मद शामिल की गई।



अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) विभिन्न और संबंधित अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं, जिनके संगत अंश नीचे दिए गए हैं।

अधिनियम/ योजना/ विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	• सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	• इसके किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से किसी
		को ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा 51	• समनुरूपी नए बैंक को अधिनियमों की कतिपय धाराओं
		की प्रयोज्यता।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और	धारा 3 (2ई)	• मतदान करने के अधिकार पर प्रतिबंध
अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 9(3)(i)	• शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या
	धारा ९(३ए) (ए) से (सी)	• कतिपय क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान
	धारा ९(३एए)	• कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए
	धारा 9(3 एबी)	तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि पूर्व अभिलेख,
	धारा 9 (3बी)	सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडों के अधीन, जो कि
	धारा 13 (2)	भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करे, उसे उपयुक्त तथा
		उचित स्थिति का व्यक्ति न माना जाए।
		• इस प्रकार चयनित निदेशक, जो कि उक्त अधिनियम की
		धारा 9(3) और 9(3 एए) की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं
		करता, उसे हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार।
		• निष्ठा और गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना		• चयनित निदेशकों की कार्यालय अवधि
1970	खंड 10	• बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की अयोग्यता
	खंड 11	• निदेशक के कार्यालय की रिक्ति
	खंड ११ए	• चयनित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना
	खंड 11बी	• चयनित निदेशक के कार्यालय की रिक्तियों को भरना
	खंड 12(8)	• कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा, जिनके लिए वे
4:		इच्छुक हैं, हितों का विगोपन
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियम,	विनियम 10	• संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन
2004	विनियम 61	• मतदान पर आम बैठक
	विनियम 61ए	• मतदान के संवीक्षक
	विनियम 61बी	• मतदान आयोजित करने की पद्धति और इसके परिणाम
	विनियम 63	 निदेशक आम बैठकों में चुने जाएंगे शेयरधारकों की सूची
	विनियम 64	• निर्वाचन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 65	• नामांकनों की संवीक्षा
	विनियम 66	• निर्वाचन से संबंधित विवाद
	विनियम 67	• मतदान अधिकारों का निर्धारण
	विनियम 68	• विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
	विनियम 69	• प्रॉक्सियां
	विनियम 70	



भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनयम 1970 बैंकिंग की धारा 9(3एए) व धारा 9(3एबी) के अनुसरण में

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड पर चयनित निदेशकों हेतु उपयुक्त और अंतरण) अधिनयम 1970 बैंकिंग तथा उचित मानदंड

शेयरधारकों की सुविधा के लिए विनियम अधिनियम, अधिनियम, योजना और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 इसके साथ संलग्न हैं।

नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत एक निदेशक को निर्वाचित किया जाएगा या निर्वाचित माना जाएगा, (यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्तियों के समान है) तथा उनके द्वारा शनिवार 14 जून 2014 से अथवा यदि अम्मीदवार अधिक हैं, तो 26 जून 2014 के अनुवर्ती चुनाव से कार्यभार संभाला जाएगा । ऐसे निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा 27 जून 2014 से 3 (तीन) वर्षों के लिए कार्यभार संभाला जाएगा।

निदेशकों का हित

बैंक का कोई भी निदेशक और बैंक के ऐसे पात्र निदेशक जो निर्वाचन में हिस्सा ले सकते हैं, उनकी शेयरधारिता की सीमा के अतिरिक्त, कार्य-व्यवहार के उपर उल्लेख किए गए मद के प्रति रूचि या संबंध नहीं रखते हैं।

निदेशकों का निर्वाचन संबंधित अधिनियमों, योजना और विनियमों आदि का सार

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध- धारा 16 (1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध - धारा 20

- 1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी कोई बैंकिंग कंपनी
 - क. अपने ही शेयरों की प्रतिभृति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
 - ख. निम्नलिखित को या उसकी ओर से न तो किसी प्रकार का ऋण या अग्निम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी
 - i. अपने किसी निदेशक
 - ii. कोई भी फर्म जिसमें उसका कोई निदेशक किसी साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीदाता के रूप में हित रखता हो या
 - iiii. कोई ऐसी कंपनी, जो बैंक की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो (या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी), जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक प्रबंधक, कर्मचारी या निदेशक अथवा गारंटीदाता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो अथवा
 - iv. ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीदाता के रूप में हितबद्ध हो
- 2. अगर िकसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है िक जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान िकया गया था उस ितिथ को उपधारा (1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह िकसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनयम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर िकया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सिहत ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अविध के भीतर या जहाँ ऐसी कोई अविधि निर्धारित नहीं की गई हो वहाँ उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व वसुली हेतु उपाय िकए जाने चाहिए।



बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किए गए लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों और नियमों के अधीन होगा जिन्हे भारतीय रिज़र्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होती है।

- उपधारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य व अप्रभावी होगा।
- 4. जहाँ उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर बैिंकंग कंपनी को चुकौती न किए जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को उक्त अविध की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या

- क. **"ऋण या अग्रिम**" में कोई भी ऐसा संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक संव्यवहार के स्वरूप, उक्त संव्यवहार के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभावित समय व उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ख. "निदेशक" से तात्पर्य प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन को उसके सभी या किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
- 5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के उद्देश्य के लिए कोई संव्यवहार ऋण है अथवा अग्रिम तो मामला भारतीय रिजंव बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 51 समनुरूपी नए बैंक हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम की कतिपय धाराओं की प्रयोज्यता का उल्लेख करती है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध - धारा 3 (2 ई)

केंद्र सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधरकों के कुल मताधिकार के लिए दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन - धारा 9 (3) (i)

जहाँ धारा 3 की उपधारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत पूँजी जारी की गई है-

- i. कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक से अधिक नहीं।
- ii. कुल प्रदत्त पूँजी के सोलह प्रतिशत से अधिक किंतु बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं, दो निदेशकों से अधिक नहीं।
- iiii. कुल प्रदत्त पूँजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक, तीन निदेशकों से अधिक नहीं।

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से ही निर्वाचन करना होगा।

बशर्ते कि इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खंड (एच) के अंतर्गत नामित निदेशकों को समसंख्या में निवृत्त होना चाहिए।

बशर्ते यह भी कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनयम 2006 के प्रारंभ पर या उससे पूर्व, एक समनुरूपी नए बैंक में, निर्वीचित निदेशकों की संख्या उप-खंड (I) या उप-खंड (II) या उप-खंड (III), में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्रारंभ से पूर्व निर्वाचित ऐसी अधिक संख्या वाले निदेशक, योजना में निर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से पूर्व निवृत्त होने के लिए किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे।



कतिपय क्षेत्रों में विशेष योग्यता - धारा 9(3 ए)

खंड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

- क. निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक विषयों के संबंध में विशेष योग्यता या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हों
 - i. कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - ii. बैंकिंग
 - iiii. सहकारिता
 - iv. अर्थशास्त्र
 - v. वित्त
 - vi. विधि
 - vii. लघु उद्योग
 - viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी हो
- ख. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधत्व करें या
- ग. किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधत्व करे

उपयुक्त और उचित स्थिति

धारा - 9(3 एए)

उपधारा (3ए) के प्रावधानों पर किसी पूर्वाग्रह के बिना और इस अधिनियम व फिलहाल प्रचलित किसी अन्य कानून में विपरीत समाहित किसी बात पर विचार किए बिना, कोई भी व्यक्ति उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पूर्व-वृत्त, ईमानदारी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर सूचित किए ऐसे अन्य मापदंड के आधार पर उपयुक्त और उचित स्थिति न रखता हो।

धारा - 9(3एबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में, उपयुक्त और उचित स्थिति के निर्धारण हेतु प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का प्रकार, ऐसे निर्धारण हेतु अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले, जो उसमें आवश्यक या प्रासंगिक माने गए हों, निर्दिष्ट कर सकता है।

किसी निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार - धारा 9(3बी)

जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक में उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा 3(ए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, अगली वार्षिक सामान्य बैठक में समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा एक निदेशक को समुचित रूप से निर्वाचित किए जाने तक निदेशक मंडल उपधारा (3ए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक की तरह सह-विकल्प के रूप में लेगा और यह माना जाएगा कि ऐसा सह-विकल्प के रूप में लिया गया व्यक्ति समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में समुचित रूप से निर्वाचित किया गया है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व - धारा 13(2)

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा व गोपनीयता की घोषणा करेंगे।



राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल — खंड 9(4)

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार छ: वर्षों के लिए पद धारित नहीं करेगा

निदेशकों हेतु अयोग्यता - खंड 10

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने और निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा

- क. यदि वह व्यक्ति किसी समय दिवालिया करार दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो
- ख. वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो या
- ग. यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो
- घ. यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत नामित निदेशकों और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर कोई अन्य पद धारित करता हो।

निदेशक का पद रिक्त होना - खंड 11

- यदि कोई निदेशक खंड 10 में विनिर्दिष्ट किन्ही अनर्हताओं के अधीन आता है या बोर्ड से अनुमित लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता हो तो उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो गया है।
- 2. अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (बी) या खण्ड (सी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सिंहत प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक, केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि वह पद रिक्त हो गया है और अन्य कोई निदेशक लिखित रूप से केंद्र सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्र सरकार द्वारा त्यागपत्र के संप्रेषण की प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- 3. उपरोक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) और (एफ) में संदर्भित निदेशक का पद उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4. जहाँ निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना - खंड 11 क

केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक, ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूँजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना — खंड 11 ख

- जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अविध की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
 बशर्ते कि जहाँ रिक्ति की अविध छ: मिहनों से कम रहने की संभावना है वहाँ शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है
- 2. उपखंड (1) के अंतर्गत, मामले के अनुसार, निर्वाचित या सह-नियुक्त व्यक्ति अपने पूर्वीधिकारी के कार्यकाल की शेष अविध के लिए पदग्रहण करेगा।



निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा - खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखंड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह-

- i. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में पिरभाषित किसी सार्वजिनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित िकसी निगम या किसी सरकारी सिमिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव िकया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूँजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004

संयुक्त धारकों के अधिकारों का निष्पादन

विनियम 10

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से हैं, तो शेयरों के अंतरण को छोड़कर मतदान, लाभांश की प्राप्ति, सूचनाएं भेजना और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित ऐसे सभी या किसी भी मामले के संबंध में रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले व्यक्ति को उसका एकल धारक माना जाएगा।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक

विनियम 63

- अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (आई) के अधीन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सामान्य बैठक में केंद्र सरकार को छोड़कर रिजस्टर में दर्ज शेयरधारकों द्वारा अपने में से ही निदेशक चुन लिया जाएगा।
- 2. जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, जिसका नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही जोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार के हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएंगे।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- i. इन विनियमों के विनियम 63 के उप विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- ii. इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध कराई जाएगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

विनियम 65

- 1. निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,
 - (क) वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो।



- (ख) उसे नामांकन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
- (ग) उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यों के साथ संयुक्त रूप से, धारित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों के संबंध में मांग राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम दिनांक को या उससे पूर्व मांग राशि अदा कर दी हो।
- (घ) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का अधिकार रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत संगठित अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हों बशर्ते कि कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता हो वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- (इ) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, एश्योरेंसेज के पंजीयक या उपपंजीयक या किसी अन्य राजपित्रत अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणापत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम के तहत या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- (च) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित दिनांक से पहले चौदह दिनों के भीतर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता।

नामांकनों की संवीक्षा

विनियम 66

- i. नामांकनों के प्राप्ति के निश्चित दिनांक के पश्चात प्रथम कार्य दिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तत्काल प्रभाव से निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम व पता निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन हेतु आयोजित बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हों तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उसने निर्वाचित होने या निर्वाचित माने जाने के दिन से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है।

चुनाव संबंधी विवाद

विनियम 67

- i. निर्वाचित माने गए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा िकसी निर्देशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठाया गया है तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का अधिकार रखने वाला शेयरधारक हो, ऐसे चुनाव के पिरणाम की घोषणा के दिनांक से 7 दिनों के भीतर इसकी लिखित सूचना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन सभी आधारों का संपूर्ण ब्योरा दे जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उठाया गया हो।
- ii. उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे निर्णय पर संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक व अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ख) और (ग) के तहत नामित दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- iii. उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित परिणाम की पृष्टि करेगी या यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था तो वह जाँच आरंभ करने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर पुन:



चुनाव कराने का आदेश बनाएगी और नए चुनाव कराने सिहत ऐसे अनुदेश देगी जो सिमिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हों। iv. इस विनियम के अनुसरण में ऐसी सिमिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार

मतदान अधिकारों का निर्धारण

विनियम 68

- i. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक, जिसका आम बैठक के दिनांक से पूर्व रिजस्टर बंद होने के दिनांक तक शेयरधारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो वह ऐसी बैठक में हाथ उठाकर एक मत और मतदान होने की स्थिति में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित उपबंधों में प्रत्येक शेयरधारक जो उपर्युक्त कथन के अनुसार व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक रखता है और जो कि एक कंपनी न हो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी के जिरए उपस्थित हो या जो एक कंपनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयरधारक हाथ उठाकर एक मत दे सकेगा और मतदान होने की स्थिति में उपर विनियम (i) में दर्शाए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।

व्याख्या - इस अध्याय के लिए कंपनी से आशय कोई निगमित निकाय है।

iii. आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार रखने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को (चाहे शेयरधारक हो या नहीं) नियुक्त करने का अधिकार रखते हैं, परंतु इस तरह नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

विनियम 69

- i. ऐसा शेयरधारक, जो केंद्र सरकार या एक कंपनी हो, मामले के अनुसार, संकल्प द्वारा किसी आम बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में "विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में संदर्भित) केंद्र सरकार या कंपनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा जैसे कि वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्तिगत शेयरधारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकिल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में इनमें से कोई व्यक्ति केंद्र सरकार/ कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति तब तक कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की किसी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से चार दिन पहले जमा नहीं कर दिया जाता।

प्रॉक्सियाँ

विनियम 70

(i) प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि एकल शेयरधारक की स्थिति में उसके द्वारा स्वयं या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो, या संयुक्त धारकों की स्थिति में, यह रजिस्टर में लिखे गए पहले नाम वाले शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय की स्थिति में इसके अधिकारी द्वारा या उसके लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिवक्ता (अटॉर्नी) द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

प्रॉक्सी का एक लिखत, ऐसे शेयरधारक द्वारा जो किसी कारणवश, अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना



जाएगा यदि उसका चिन्ह वहाँ अंकित हो और उसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्योरेंसेज के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो।

- (ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह यथोचित रूप से स्टाम्प न लगे हो और मुख्तारनामा या किसी अन्य प्राधिकार की प्रति के साथ, जिसके अंतर्गत उस पर हस्ताक्षर किए गए है, की एक प्रति या उस मुख्तारनामे या किसी अन्य प्राधिकार की नोटरी पब्लिक या मिजस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित एक प्रति, जो पूर्व में ही बैंक के पास जमा और पंजीकृत हो, बैठक के लिए निर्धारित दिनांक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दी जाए ।
- (iii) प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह फॉर्म "बी" में न हो।
- (iv) बैंक के पास जमा प्रॉक्सी का कोई भी लिखत अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
- (v) वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों को प्रदत्त प्रॉक्सी की स्थिति में, एक से अधिक फॉर्म निष्पादित न किए जाएं।
- (vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रॉक्सी प्रदान करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिश: वोट करने का अधिकार नहीं होगा, जिस बैठक के लिए वह प्रॉक्सी प्रदान किया हो।

कोई भी व्यक्ति जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कर्मचारी या अधिकारी हो वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46/ 29.39.001/2007-08 और डीबीओडी.क्र 47/29.39.001 व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना डीबीओडी.क्र. बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नानुसार अधिसूचित किया है-

कोई भी नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उसे इस उद्देश्य के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त नामांकन समिति द्वारा "उपयुक्त और उचित" स्थिति में न माना जाए। नामांकन में उम्मीदवार की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव और क्षेत्र विशेषज्ञता, पूर्व-वृत्त और ईमानदारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी होना चाहिए, जिससे कि नामांकन समिति उम्मीदवार की "उपयुक्त और उचित" स्थिति पर निर्णय ले सके। किसी प्राधिकारी/ विनियामक एजेंसी से प्राप्त प्रतिकूल सूचना या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से दिवालियापन या किसी ऋण में चूक की सूचना संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने हेतु "अनुपयुक्त व अनुचित" बना देगी। (अधिसूचना की संपूर्ण विषयवस्तु बैंक की वेबसाईट पर निवेशक संबंध शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध है)



Bank of Maharashtra

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411005

Notice

Notice is hereby given that the Eleventh Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Thursday the 26th June 2014 at 10.30 A.M at Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune-411 005 to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

- 1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2014, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."
- 2. To confirm payment of Interim Dividend and declare final dividend, if any, for the year ended 31st March 2014.

SPECIAL BUSINESS:

- 3. TO CONSIDER AND IF THOUGHT FIT, TO PASS, WITH OR WITHOUT MODIFICATION/S, THE FOLLOWING RESOLUTION AS A SPECIAL RESOLUTION:
 - "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1970 and Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as amended from time to time, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modification/s thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Bank of Maharashtra(the "Bank") and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) as amended from time to time and Regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to
 - a) Create, offer, issue and allot upto 13,33,63,574 equity shares of the face value of Rs. 10/- each for cash at a conversion price of Rs. 44.09 including premium of Rs. 34.09 per share as determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to Rs. 587,99,99,977.66 (Rs. Five Hundred Eighty Seven Crore Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Seventy Seven and Sixty Six paise Only) by conversion of 5,880 PNCPS having face value of Rs. 10,00,000/- each aggregating to Rs. 588 Crore held by Govt. Of India, on preferential basis to Govt. of India.
 - b) Create, offer, issue and allot upto 9,07,23,520 equity shares of the face value of Rs. 10/- each(Rs. Ten only) for cash at a price of Rs 44.09 per shareincluding premium of Rs. 34.09 per share as determined in accordance with Regulation 76(4) of SEBI ICDR Regulations 2009 aggregating Rs 400 Crore(Rs Four Hundred Crore only in Preferential basis to LIC and/or various schemes or LIC of India

RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the issue Price is May 27, 2014.



RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the said Equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing Equity Shares of the Bank and shall be entitled to dividend, declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT the new equity shares to be issued as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where equity shares of the Bank are listed on the date of allotment of new equity shares.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the Equity Shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorised to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or any Executive Directors or such other officer of the Bank or a Committee as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution".

4. To elect ONE Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification No. DBOD. No. BC. No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made there under and Notification of Reserve Bank of India, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the date following the date on which he/she is elected/deemed to be elected and shall hold the office for a term of three years."

By order of the Board of Directors

(S. Muhnot)

Chairman & Managing Director

Date: 26th May, 2014

Place: Pune



Notes:

- 1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business to be transacted at the meeting is annexed hereto.
- 2. In terms of Sub section (2E) of section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, no shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to above, each shareholder, other than the Central Government, who has been registered as a shareholder shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him subject to maximum of 10% of the total voting rights

As per Regulation 10 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004, if any shares stand in the name of the two or more persons, the person first named in the Register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

3. **Appointment of Proxy:**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Pune not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure of working hours of the Bank on Saturday, 21st June 2014.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank at Pune, not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure of working hours of the Bank on Saturday, 21st June 2014.

5. Attendance Slip-cum-Entry pass

For the convenience of the shareholders, attendance Slip-cum-Entry pass is annexed to this Notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance-slip-cum Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

6. Book Closure

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Saturday the 31st May 2014 to Monday 2nd June 2014 (both days inclusive) for the Purpose of the Eleventh Annual General Meeting and for ascertaining the shareholders entitled for participation in the election of Director and voting at the Annual General meeting or by e-voting..

7. Unpaid / Unclaimed dividend, if any

In terms of Section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undetakings) Act, 1970, and Financial Institutions Laws (Amedment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is



transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (EPF) established under section 205C(1) of the Companies Act, 1956 and thereafter, no claim for payment of dividend shall lie in respect thereof either to the Bank or to EPF.

Accordingly, in line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed from the financial year 2003-2004 and onwards will be transferred to "Investor Education and Protection Fund" after seven years from the date on which it has been transferred to 'unpaid dividend account'.

Shareholders who have not received / encashed their dividend upto the financial year 2012-13, are requested to lodge their valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent-MCS Ltd.

8. Lodgment of Share Transfer Form/s

Duly executed Share transfer form/s along with the relevant Share Certificates, for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para no:9. so as to reach their office on or before the closure of business hours on May 30, 2014.

9. Change of address

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:

MCS Limited.

Unit: Bank of Maharashtra,

Office No.21/22, Ground Floor,

Kashiram Jamnadas Bldg., 5, P.D' Mello Road, (Ghadiyal Godi),

Masjid (E) Mumbai-400 009. Tel No: 022-2372 6253-56

Fax: 022-2372 6252

Email-uday_mcs@yahoo.in

Shareholders holding shares in Dematerialized Form are requested to intimate changes, if any, in their address directly to the respective Depository Participants.

10. National Electronic Clearing Services-N-ECS/ Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank arranges payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of NECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility, may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards payment of dividend.

- 11. Shareholders/Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report/Notice to the Annual General Meeting.
- 12. Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the **Investor Services Department of the Bank at its Head Office**, so as to reach the Bank at least one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information / clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.



13. E-Voting:

The Bank is pleased to provide E-voting facility through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as an alternative, for all members of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the notice of Annual General Meeting of the Bank dated May 26, 2014 (the AGM Notice). The Bank has appointed Mr. Raghavendra Joshi, Practicing Company Secretary (Partner of Apte Joshi & Associates, Company Secretaries, Pune) as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the share-holders/beneficial owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on May 30, 2014.

The instructions for members for voting electronically are as under:-

A. In case of members receiving e-mail:

- i. If you are holding shares in Demat form and had logged on to www.evotingindia.com and casted your vote earlier for EVSN of any Company, then your existing login id and password are to be used.
- ii. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- iii. Click on "Shareholders" tab to cast your votes.
- iv. Now, select the Electronic Voting Sequence Number "EVSN" along with "COMPANY NAME" from the drop down menu and click on "SUBMIT"
- v. Now, fill up the following details in the appropriate boxes:

	For Members holding shares in Demat	For Members holding shares in Physical		
	Form	Form		
User ID	For NSDL: 8 Character DP ID	Folio Number registered		
	followed by 8 Digits Client ID	with the Company		
	For CDSL: 16 digits beneficiary ID	For CDSL: 16 digits beneficiary ID		
PAN*	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department when prompted			
	by the system while e-voting (applicable for both demat shareholders as well as physical			
	shareholders)			
DOB#	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the company records for the			
	said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.			
Dividend Bank	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the company re-			
Details#	cords for the said demat account or folio.			

- * Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the default number: "BOMEV1234Z" in the PAN field.
- # Please enter any one of the details in order to login. In case either of the details are not recorded with the depository please enter the value "01/01/1990" in the DOB column or the <No of Shares Held> in the Dividend Bank details field. For example, if your are holding 100 shares enter default value as 100 in <No of Shares held>.
- vi. After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- vii. Members holding shares in physical form will then reach directly the EVSN selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. The new password has to be minimum eight characters consisting of at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character(@ # \$ %& *). Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting



for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Kindly note that this changed password is to be also used by the Demat holders for voting for resolutions for the Company or any other Company on which they are eligible to vote, provided that Company opts for e-voting through CDSL platform.

- viii. Click on the relevant EVSN on which you choose to vote.
- ix. On the voting page, you will see Resolution Description and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- x. Enter the number of shares (which represents number of votes) under YES/NO or alternatively you may partially enter any number in YES and partially in NO, but the total number in YES and NO taken together should not exceed your total shareholding.
- xi. Click on the "Resolutions File Link" if you wish to view the entire Resolutions.
- xii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- xiii. Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- B. In case of members receiving the physical copy of Notice of AGM [for members whose e-mail IDs are not registered with the company/ depository participant(s) or requesting physical copy]:
 - a. Please follow all steps from sl. no. (ii) to sl. no. (xiii) above, to cast vote.
 - b. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to log on to https://www.evot-ingindia.co.in and register themselves, link their account which they wish to vote on and then cast their vote. They should upload a scanned copy of the Board Resolution in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the vote.
 - c. The voting period starts from 10. A.M. on Friday, June 20, 2014 and ends at 05.00 P.M. on Sunday June 22, 2014. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of May 30, 2014, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
 - d. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to help-desk.evoting@cdslindia.com.

C. General Instruction:

- a. You can also update your mobile number and e-mail ID in the user profile details of the folio which may be used for sending communication(s) regarding CDSL e-voting system in future. The same may be used in case the member forgets the password and the same needs to be reset.
- b. You are advised to cast your vote only through one mode (E-voting or through Poll at the AGM). In case you cast your votes through both the modes, votes cast through E-voting shall only be considered and votes cast at the meeting through Poll would be rejected.



- c. Members, who have registered their e-mail addresses with the Bank or their Depository Participant, are being sent the AGM Notice along with the Annual Report, Attendance Slip & Proxy Form by e-mail and others are being sent by post/courier.
- d. Scrutinizer's email is: bomevoting@aptejoshi.com.

14. Specified Date for the purpose of Ascertainment of Shareholders entitled to Participate in the Election to the office of Shareholder Director.

As announced vide notice dated 20th May 2014, published in the newspaper on 21st May 2014, 30th May 2014 has been fixed as Specified Date in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of ascertaining the names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of ONE director representing the shareholders of the Bank other than the Central Government as mentioned in the Notice.

15. Qualifications required for being Elected as A Director of the Bank

- In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - agriculture and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance,
 - law,
 - small scale industry,

any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.

- (B) represent the interest of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

16. Disqualifications from being Elected as A Director of the Bank

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors;
 or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1)



of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and

e) If he is not found to be a fit and proper person in terms of Notification of Reserve Bank of India – No.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 date 01st November, 2007and No.DBOD.BC.No.95 /29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.

17. Tenure of Director

Director elected to fill in the vacancy of shareholder director arisen on the Board of the Bank shall be deemed to have assumed office from 14th June 2014 (if only one valid candidate found on scrutiny of nominations on 13/06/2014) If more than one candidate were found valid after scrutiny, then the vacancy for one Director will be filled up on the date of the meeting and the new director will assume office from 27th June 2014.

As per section 11-B (2) of the Scheme, such elected person shall hold the office for period of 3 (three) years from 27th June 2014 i.e. upto 26th June 2017.

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

18. List of Shareholders to Contestants

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the complete List of Shareholders as mentioned in Regulation 64 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 as of the Specified date i.e., **Friday, 30**th **May 2014** will be available at Investor Services Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 from **Monday 2**nd **June 2014** onwards for purchase by shareholders on a pre-payment of Rs.25,000/-(Rupees twenty five thousand only) for soft copy and Rs1,00,000 (RsOne Lakh only) for hard copy, by way of demand draft /pay order on a Scheduled Bank in favour of 'Bank of Maharashtra' payable at Pune.

19. Inspection of the Register of Shareholders

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays and Bank holidays) i.e. from Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or of any part thereof, the same shall be supplied to him/her on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

20. Participation in Election

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/RTA as on Friday, 30th May 2014 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of director from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the specified date (i.e. Friday, 30th May 2014) prior to the date of a meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the Act.

21. Nomination of Candidates for Election

In terms of Regulation 65 of the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004, and in terms of Notification



of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- a) he is a shareholder holding, as on Friday, 30th May 2014, being the Specified date for participating in the election, a minimum of 100 shares in Bank of Maharashtra either in physical mode or in electronic/dematerialised mode, and continues to hold a minimum of 100 shares till Thursday 26th June 2014 and thereafter if he is elected.
- b) as on the last date for receipt of nomination i.eThursday the 12th June 2014 he/she is not disqualified from being a Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004 and Notification No. -DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India.
- c) there are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Director under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the General Manager, FMA Department ,Head Office, Bank of Maharashtra , 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411005 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- e) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration along with his/her personal details by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations 2004 and that he has enclosed his personal details which are true to the best of his knowledge and belief and that he undertakes to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- f) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website (www.bankofmaharashtra.in).

22. Submission of nomination forms.

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government and being qualified as per the conditions mentioned herein may please submit the following in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope and superscribed "Nomination for Shareholder Director - AGM 2014" to the General Manager, FMA Department, Head Office, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 together with connected/relevant documents complete in all respects, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on Thursday the 12th June 2014 failing which, the nominations are liable to be rejected.

a) Duly filled in Declaration Form



- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) together with the connected documents, testimonials viz Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc

23. Scrutiny of Nominations

- Nominations shall be scrutinized on Friday, 13th June 2014, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- II. Personal Information, Declaration and Undertaking (PDU Form) shall be subjected to a Due Diligence Check by the Nomination Committee of the Board in terms of the 'Fit and Proper' Guidelines dated 1st November, 2007 and 23.05.2011 issued by the Reserve Bank of India.
- III. If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and the candidate shall assume office on Saturday 14th June, 2014.-
- IV. If the valid nominations are more than the number of Director to be elected, the names of the candidates shall be published in the newspapers and the candidate polling the majority of the votes at the election shall be deemed to have been elected and his name will be announced by the Chairman & Managing Director and also published in newspapers and the candidate shall assume office on 27th June 2014.
- V. If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004.

24. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 pm on Wednesday, 25th June 2014.

25. Voting Rights

In terms of the provisions of Section 3(2E) of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date (i.e. Friday, 30th May 2014) prior to the date of the meeting shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her subject to overall cap of voting as prescribed under section 3(2E) of the

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Hence if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting

26. Shareholders are requested to bring their copies of the Notice to the meeting.



EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3.

EXPLANATORY STATEMENT AND DISCLOSURE AS REQUIRED TO BE MADE IN TERMS OF SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2009.

I) Objects of the Preferential issue:

In order to comply with Basel II and III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise Capital. Bank is maintaining Capital Adequacy as per Basel II and Basel III capital requirements laid down by RBI.

Under Basel II, the Reserve Bank of India requires, Banks to maintain a minimum Capital to Risk- weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 %, of which Tier I capital should be at least 6%. As per the Audited Statement of the Bank as of March 31, 2014, the total capital adequacy ratio of the Bank as per Basel II was 12.11% of which Tier I capital adequacy ratio was 7.75%. Under Basel III, for 31.03.2014, requirement of total CRAR was 9% of which Common Equity Tier 1 requirement was 5.00% and Total Tier 1 capital requirement was 6.50%. As per the Audited Statement of the Bank as of March 31, 2014, the total capital adequacy ratio of the Bank as per Basel III was 10.79% of which Tier I capital adequacy ratio was 7.44% (Common Equity Tier I stood at 6.69% and Additional Tier 1 Capital stood at 0.75%).

Under Basel III, the Reserve Bank of India requires Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9% for 31.03.2015 and it will increase gradually to 11.50% upto 31.03.2019, of which Common Equity Tier I capital requirement will be 5.50% and Total Tier I capital requirement will be 7.00% from 31.03.2015. With the introduction of Capital Conservation Buffer from 31.03.2016, requirement of capital in the form of Equity Capital increases as buffer requirement increases year on year from 0.625% in 31.03.2016 to 2.50% in 31.03.2019 so the total capital requirement rises from 9% to 11.50%.

Taking into account increasing capital requirements under Basel III in equity capital form, with limited scope in raising IPDI and Tier II Bonds with loss absorption clause, with Basel III caps and to maintain on-going growth in the business, Bank foresees additional requirement of capital and the capital raised will be utilized to strengthen the Capital Adequacy requirement for the business growth.

- a) Government of India now proposes conversion of Perpetual Non-Cumulative Preference Share Capital (PNCPS) held by them into Equity Shares. The proposed Equity Shares after conversion of PNCPS will be allotted to Government of India, the Promoter of the Bank, through preferential issue of Equity Shares.
- b) Bank also proposes to infuse additional equity capital into Bank, to strengthen owned funds of the bank by allotting equity shares through preferential issue to LIC of India and/or various schemes of LIC of India.
 - Proposal for conversion of PNCPS aggregating to Rs. 588 crores.

Govt. of India infused capital funds aggregating to Rs.588 crores in the Bank towards Perpetual Non- Cumulative Preference Shares (PNCPS) of the Bank. Bank had issued 5880 Preference shares having face value of Rs. 10,00,000 each with a coupon benchmarked to Repo Rate with spread of 100 basis points to be re-adjusted annually based on prevailing Repo Rate on the relevant date.

Perpetual Non- Cumulative Preference Shares (PNCPS) aggregating to Rs. 588 crore held by Government of India will not be reckoned for 100% weightage under Tier I capital as per Basel III norms. Accordingly, Bank had requested Government of India to consider the proposal for conversion of PNCPS entirely held by it into equity to enable the Bank to meet the Basel III requirements. Further, conversion of PNCPS into equity will also create headroom for raising Basel-III compliant bonds under Tier-I / Tier-II capital and also issuing of equity



through Qualified institutional Placement (QIP) / follow on public offers. The Government of India vide letter F No 11/17/2013-BOA dated April 16, 2014 conveyed approval for conversion of PNCPS into equity shares subject to approval of shareholders, SEBI and other authorities.

The conversion of PNCPS into equity will not result any outflow to the Government of India.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2014 is as under:

Particulars	Amount (Rs.) in Crores	% of capital funds to risk weighted
		asset (Basel – III)
Risk Weighted Assets	84,384.15	
Common Equity Capital	5,640.70	6.69
Additional Tier I	635.85	0.75
Tier-I Capital	6,277.54	7.44
Tier-II Capital	2,826.87	3.35
Tier-III Capital	9,104.41	10.79

- a) The issue price is determined in accordance with the provisions of Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009.
- b) Shareholding Pattern of the Bank before and after the Preferential Issue of Equity Shares:

Sr.No	Category	Before the Is	ssue as on	After the Issu	ie as on
		March 31, 2014		June 30, 2	2014
		No of Shares	% share	No of shares	% share
		held	holding	held	holding
Α	Promoter Holding				
1.	Promoters				
	Govt. of India	715010200	85.21	848373774	79.80
	Foreign Promoters	-	-	-	-
2 .	Persons acting in concert	-	-	-	-
	Sub total	715010200	85.21	848373774	79.80
В	Non Promoter Holding				
3.	Institutional Investors				
Α	Mutual funds & UTI	961271	0.11	961271	0.09
В	Banks, Financial Institutions, In-	58333449	6.95	149056969	14.02
	surance Companies, (Central/				
	State Govt. Institutions/ Non-				
	government Institutions)				
С	FII	4014024	0.48	4014024	0.38
	Sub Total	63308744	7.54	154032264	14.49
4	Others				
Α	Private Corporate Bodies	6843222	0.82	6843222	0.64
В	Indian Public	52322411	6.23	52322411	4.92
С	NRI/OCBs	1484150	0.18	1484150	0.14
D	Any Other	127100	0.02	127100	0.01
	Sub Total	60776883	7.25	60776883	5.71
	Grand Total	839095827	100.00	1063182921	100.00

c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.



d) As the issue is proposed to be made to the Government of India (GOI) the major shareholder and Promoter of the Bank and LIC of India, there would not be any change in control. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre Issue (as on 31.03.2014)	715010200	85.21
Post Issue	848373774	79.80

The pre and post issue shareholding of LIC of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage of Capital
Pre Issue (as on 31.03.2014)	56063963	6.68
Post Issue	146787483	13.81

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.
- f) All the shares proposed to be issued and allotted under Preferential Issue to the Government of India (GOI) shall be locked in for a period of three years from the date of 'trading approval' of new equity shares andh shares allotted to LIC of India shall be locked in for a period of one year from the date of trading approval of new equity share.
- g) The entire pre-preferential shareholding of Government of India will be locked in for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of 'trading approval' of new equity shares.
- h) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Annual General Meeting.
- i) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- j) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date. Further, all the equity shares held by the Government of India (GOI) in the Issuer Bank are held in Dematerialized Form.
- k) The LIC of India being an insurance company with public interest is exempt from the provisions of Regulation 72(2) of SEBI (ICDR) Regulation 2009 relating to non selling of equity shares during the six months preceding the Relevant Date.
- 1) The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.
- m) None of the Directors of the Bank is interested or concerned in any manner in the proposal contained in the Resolution.

Item No. 4; ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS

Shareholders other than Government of India hold 14.79% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970, Bank of Maharashtra is entitled to have a maximum of one shareholder Director on the Board of the Bank (other than the Central Government).

The tenure of Dr. Dinesh Shantilal Patel and Dr. R K Agrawal, the two directors elected by shareholders (other than Central Government) was over on January 31, 2014.



Accordingly an item of agenda is included in the Notice for the AGM to pass necessary resolution for election of ONE director representing the shareholders of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act/Scheme/ Regulations/Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
NOTIFICATIONS		
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16 (1)	Prohibition of common Directors
	Section 20	Restrictions for granting loan or advance to or on
		behalf of any of its directors
	Section 51	Applicability of certain sections of Act to a
		corresponding new bank.
The Banking Companies	Section 3 (2E)	Restriction on voting rights
(Acquisition and Transfer of	Section 9(3)(i)	No. of directors to be elected by the shareholders
Undertakings) Act, 1970	Section 9(3A) (A) to (C)	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA)	No person shall be eligible to be elected as director
	Section 9(3AB)	unless he is a person found to have fit and proper
	Section 9(3B)	status based upon track record, integrity and such
	Section 13(2)	other criteria as RBI may prescribe.
		Right of RBI to remove a director so elected who
		does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and
		9(3AA) of the said Act.
		Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	Term of office of elected directors
(Management And Miscellaneous	Clause 10	Disqualifications from being elected as a Director of
Provisions) Scheme, 1970	Clause 11	the Bank
	Clause 11A	Vacation of office of Director
	Clause 11B	Removal from office of an elected Director
	Clause 12(8)	Filling of vacancy in the office of elected Director
		Disclosure of interest by directors in certain
		arrangements in which they are interested.
Bank of Maharashtra (Shares and	Regulation 10	Exercise of rights of joint holders
Meetings) Regulations, 2004	Regulation 61	Voting at General Meetings
	Regulation 61A	Scrutineers at Poll
	Regulation 61B	Manner of taking poll and result thereof
	Regulation 63	Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	List of Shareholders
	Regulation 65	Nomination of candidates for election
	Regulation 66	Scrutiny of nominations
	Regulation 67	Election disputes
	Regulation 68	Determination of voting rights
	Regulation 69	Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	Proxies



RBI Notification No.	Pursuant to Section 9(3AA) &	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of
DBOD. No. BC.No.46 and	Section 9(3AB) of The Banking	Nationalized Banks
47/29.39.001/2007-08 dated	Companies Acquisition and	
01.11.2007 and No.DBOD.	Transfer of Undertakings) Act,	
BC.No.95/29.39.001/2010-11	1970.	
dated 23.05.2011		

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No. DBOD. No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 are annexed hereto.

One director will be deemed to be elected or elected either after the scrutiny of the nominations (if the number of valid nominations are equal to the number of vacancy) and will assume office from Saturday 14th June 2014 or in subsequent election on 26th June, 2014, if there are more contestants. After such election, he will assume office from 27th June 2014 for a period of 3(three) years.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible Directors of the Bank who may contest the election.

ELECTION OF DIRECTORS

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

The Banking Regulation Act, 1949

Prohibition of common Directors - Section 16 (1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director to its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking company shall, -
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance or advance to or on behalf of
 - (i) any of its Directors,
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any Company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which (or the subsidiary or the holding Company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been



made if Clause (b) of Sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, (or is granted by Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement), steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank of India may, in any case on an application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank of India may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank of India, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Director" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank of India, whose decision thereon shall be final.

Section 51 of Banking Regulation Act, 1949 mentions the applicability of certain sections of Banking Regulation Act to a corresponding new bank.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

Restrictions on voting rights - Section 3(2E)

No shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors - Section 9 (3) (i)

Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one Director.
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than two Directors.



(III) more than thirty two percent of the total paid-up capital, not more than three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office

Special Knowledge in certain fields - Section 9(3A)

The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:
 - i. agriculture and rural economy,
 - ii. banking,
 - iii. co-operation,
 - iv. economics,
 - v. finance,
 - vi. law,
 - vii. small scale industry,
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

FIT and Proper Status

Section -9(3AA)

Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub-section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB)

The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub section 3(AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

RIGHT OF RBI TO REMOVE A DIRECTOR - Section 9(3B)

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) it may, after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity



of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy - Section - 13(2)

Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other Employee of a corresponding new Bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Term of office of elected Director -Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election:

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors- Clause 10:

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude.
- d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors -Clause 11:

- If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10, or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalised Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with subsection (3) of Section 9 of the Act.



Removal from office of an elected Director -Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by a majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of elected Director- Clause 11B:

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by elec-
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors- Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalised Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalised Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalised Bank, if he is a Director (referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act)

Bank of Maharashtra (Shares and Meetings) Regulations, 2004

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividend, service of notices and all or any other matters connected with Bank of Maharashtra except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meetings

Regulation 63:

(1) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of the Bank of Maharashtra.



(2) Where an election of Director to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64:

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election

Regulation 65:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless.
 - a. he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in Bank of Maharashtra;
 - b. he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - c. he has paid all calls in respect of the shares of Bank of Maharashtra held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d. the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank of Maharashtra and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e. the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
 - f. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of Bank of Maharashtra on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations

Regulation 66:

(i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for the receipt of nominations and in case any information is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefore. If there is only



one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.

- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

Election disputes

Regulation 67:

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank of Maharashtra and shall in the said intimation give full particulars of grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of Maharashtra shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders

Determination of voting rights

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)



Explanation- for this chapter, "Company" means any body corporate.

(iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorised representative

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a "duly authorised representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of Maharashtra. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorised representative of the Central Government / Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of Maharashtra as the duly authorised representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra not less than four days before the date fixed for the meeting.

PROXIES

Regulation 70:

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing, or in the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
 - Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub- Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra
- (ii) No Proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof is deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public, or a Magistrate unless such a power of Attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- (iii) No Instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.



No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.

Notification of Reserve Bank of India – DBOD No. BC NO.46/29.39.001/2007-08 and DBOD No.47/29.39.001 dated 1st November, 2007 and DBOD No. BC No.95/29.39.001/2010- 11 dated May 23, 2011.

The Reserve Bank of India has notified as under:

No nomination shall be valid unless 'Fit and Proper' status is accorded by the Nomination Committee appointed by the Board of Directors of the Bank for this purpose. The nominations should accompany additional information about the candidates to enable the Nomination Committee to decide on the 'Fit and Proper' status with regard to educational qualification, experience and field expertise, track record and integrity of the candidates. Adverse notice of any authority/ regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or financial institution would make the respective candidate unfit and improper to be elected as a Director on the Board. (Complete text of the notification is available on the website of the bank under the head Investor Relations)





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमावली के विनियम 65 (घ) का संदर्भ लें)

प्रति
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
प्रधान कार्यालय
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005
प्रिय महोदय,

अ.क्र.			

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

30 मई 2014 (निर्वाचन में सहभाग लेने के लिए मानी गई विन् शेयरधारक हूं. पुणे में गुरूवार, दिनांक 26 जून 2014 को आये अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपब	बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक शुक्रवार, दिनांक नेर्दिष्ट तिथि) को रू.10/- प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों (पूर्णत: भुगतान किए गए) का ोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का वंधों के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में निर्वाचन को जो
के निवासी हैं, उन्हें एतद्द्वारा	 नामित करता/करती हूँ।
नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो क्र. (यदि बेकागजीकृत नहीं है तो)	
डी.पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक/आई.डी. क्र. (यदि बेकागजीकृत है तो)	
स्थान	
दिनांक -	

टिप्पणियां :

- यदि नामांकन निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल की जिस बैठक में इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षरयुक्त निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए।
- 2. उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए।
- 3. यदि उपर्युक्त कोई कॉलम रिक्त छोड दिया जाता है अथवा विवरण गलत पाया जाता है तो, नामांकन को रद्द किया जा सकता है।





Bank of Maharashtra

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)
(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To The Chairman & Managing Director Bank of Maharashtra SR No. Head Office, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411005 Dear Sir. **Nomination for Election of a Director** With reference to your Notice dated 26th May 2014, I a shareholder of Bank of Maharashtra, holding equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on Friday, 30th May 2014- (being the Specified Date considered for participating in the election) do hereby nominate Shri/Smt. son/daughter/wife of Shri/Smt. residing at _ for being elected as a Director of Bank of Maharashtra representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on Thursday, 26th June 2014- at Pune. Name Signature No. of Shares Regd. Folio No (If not Dematerialised) D.P.I.D. No. & Client I. D. No. (If Dematerialised) Place Date

Notes:

- 1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
- 3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



घोषणा (उम्मीदवार के द्वारा) (विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

ਧ, ਸ਼ਾਹਕ			
सुपु <i>न।</i> निवार	' सुपुत्रा/ परमा मी	श्री/श्रीमती , एतद्द्वारा पुष्टि करता /करती हूं कि	
1.			र्रक्तियी
1.	9 .	रिष्टुनार राज्य वर्गाय र विशास वर्गाय वर् र्यकाल के अंत तक न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा; तथा	श्रम्
2.		(3) सहकारिता, (4) अर्थशास्त्र, (5) वित्त, (6) विधि (7) लघु उद्योग, अर्थ	थवा
2.		हारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी हो	
	व्यावहारिक अनुभव है और अधिनियम की धारा 9 की उ	प धारा 3 ए के अनुसार जमाकर्ताओं या किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हि	इतों का प्रतिनिधित्व करता
	हूं और इसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ संबंधित प्रमाण	गपत्र प्रस्तुत करता हूं तथा	
3.	मैंक	मांकित नामांकन को स्वीकार) करता हूं; और	
4.	मैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक का चुनाव ल	ाडने का इच्छुक हूं; और	
5.	मुझे अधिनियम, योजना, विनियमावली और भारतीय रि किया गया है; और	जर्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने के	लिए अयोग्य घोषित नही
6.	∞	। भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धार क बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का व	
7.	मैं अपना व्यक्तिगत ब्यौरा संलग्न कर रहा हूँ जो कि मेरे	ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है; और	
8.		कसी भी प्रकार की जानकारी में यदि परिवर्तन होता है तो उसे बैंक को यथासंभा	व शीघ्र अवगत कराने का
9.		वत स्थिति के लिए एक अलग व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू	क्रॉर्ग) भी प्रस्तुत क्यूना हं
9.	न नारताय रिज़ब बयर के गियरा। के जनुसार सहा जार अ	नता स्थात पर तिर १५८ जरान ज्यातमत जानपात, पापणा जार पपनापर (पाडापू	્યાન) ના ત્રસ્તુતા વગરતા હૂ.
नाम	T		_
हस्	ताक्षर		
शेर	ारों की संख्या		
	ोकृत फोलियो क्र. दि बेकागजीकृत नहीं है तो)		
	पी.आई.डी. क्र. व ग्राहक/आई.डी. क्र. दि बेकागजीकृत है तो)		
स्थ			
दिन	ांक		
 उपर्य	क्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए.		
·	÷		मुहर के साथ
			हस्ताक्षर
तिथि			
न्याय ——		ा सब- रजिस्ट्रार, या राजपत्रित अधिकारी या भारती क ऑफ महाराष्ट्र या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक) के अधिकारी की मु	
* उ	ो भी लागू हैं उसे चिन्हित करें		



DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

l,	son/d	laughter/wife of Shri/Smt	, a resident		
of _		hereby confirm th	at		
1.		equity shares of 10/- each participating in the elections and will hold a minimum of			
2.	economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small cal experience of which in the opinion of	perience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) bank I scale industry, or(specia Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) a d artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the stimonials; and	I knowledge of and practind I represent the interest		
3.	I accept the nominations numbered from	to;and			
4.	I am willing to contest for the election of D	Director of Bank of Maharashtra; and			
5.	I am not disqualified from being a director fication; and	r of the Bank under the provisions of the Act, Scheme,	Regulations and RBI Noti-		
6.		an employee of any Nationalised Bank or State Bank bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as define 59; and			
7.	I enclose my personal details which are to	o the best of my knowledge and belief are true and con	nplete; and		
8.		ned, as soon as possible, of events, if any, which take rmation provided hereto and to execute the Deed of Co			
9.	I also submit a separate Personal Informa	ation, Declaration and Undertaking (PDU Form)as	per Reserve Bank of India		
	directives to consider for fit and proper sta	atus.			
	Name				
	Signature				
	No. of Shares				
	Regd. Folio No				
	(If not Dematerialised)				
	D.P.I.D. No. & Client I. D. No.				
	(If Dematerialised)				
	Place				
	Date				
The	The above declaration was signed before me. Signature with Seal				
Nam	ne:	<u></u>			
Date	o:	_			
Sian	ature with Seal of Judge. Magistrate. Regis	strar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted	Officer or an officer of the		
_		(Bank of Maharashtra or any National			

* Tick whichever is applicable



यहां पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

(भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पीडीयू फॉर्म) व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचनपत्र बैंक का नाम : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

	2014 की स्थिति के अनुसार उचित अनुलग्नक सहित उम्मीदवार	द्वारा	घोषणा	और	वचनपत्र	
I.	उम्मीदवार के व्यक्तिगत विवरण					
क.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)					
ख.	पिता का नाम (पूरा)					
ग.	जन्मितिथि					
घ.	शैक्षणिक योग्यता					
	शैक्षणिक / अकेडॅमिक					
	(कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोडे)					
	शैक्षणिक / व्यावसायिक					
	(कृपया जानकारी के समर्थन में प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां जोडे)					
ड़.	संबंधित पृष्ठभूमि व अनुभव (कृपया बैंक के निदेशकत्व से संबंधित आपके अनुभव को					
	दर्शाएं)					
	(कृपया बैंक के निदेशक पद से संबंधित अपना अनुभव दर्शाएं.)					
च. —	स्थायी पता					
छ.	वर्तमान पता					
_	(पत्राचार के लिए) ई-मेल आई डी					
ज.	हे-मल आइ डा टेलीफोन क्रमांक (लैंडलाईन)					
झ.	टेलीफोन क्रमांक (मोबाईल)					
	1. आय कर अधिनयम के अंतर्गत स्थायी खाता क्रमांक (पैन) (प्रति जोडे).					
	2. आय कर परिमंडल / मंडल जहां व्यक्तिगत कर विवरणी फाईल की जाती है वहां का					
	नाम व पता.					
অ.	संबंधित ज्ञान व अनुभव					
	(बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3-ए) के					
	अंतर्गत अपेक्षित अनुसार).					
ਟ.	अन्य कोई जानकारी जो बैंक के निदेशक पद से संबंधित हो तथा उम्मीदवार देना चाहता हो.					
II.	उम्मीदवार के सुसंगत संबंध					
क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची, यदि हो तो, जो बैंक से किसी भी रूप में संबद्ध है					
	(कृपया कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची I-ए का संदर्भ लें)*.					
ख.	इकाईयों की सूची, यदि कोई हो, जिसमें उनके हित निहित समझे जाएं (कंपनी अधिनियम,					
	1956 की धारा 299(3)(ए) व धारा 300 का संदर्भ लें)**.					
ग.	प्रस्तावित व विद्यमान इकाइयों की ऐसी सूची, जिसमें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949					
	की धारा 5 (एनई) के अर्थ के अनुसार उम्मीदवार का हित समझा जाए					
		L				



ਬ.	पिछले छह वर्षों के दौरान बैंक/बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक पद/सदस्यता (कृपया बैंक के नाम, अधिनियम के संबंधित प्रावधान जिसके अधीन नियुक्ति/ नामांकन किया गया था और ऐसी सदस्यता/निदेशक पद के धारण की अविध दें).
ड़.	II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार और/ अथवा इकाईयों द्वारा बैंक से निधि आधारित और गैर निधि सुविधाएं (यदि कुछ हों) इस समय उपयोग की जा रही हों
ਚ.	ऐसे मामले, यदि कुछ हो, जहां उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध उम्मीदवार या इकाइयां, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अथवा अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मामले में चूककर्ता हो या पूर्व में चूककर्ता रहे हों.
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख
क.	व्यावसायिक उपलब्धियां (कृपया बैंक के निदेशक पद के लिए महत्व रखने वाली संबंधित उपलब्धियों की जानकारी दें).
IV.	उम्मीदवार के प्रति कार्यवाही, यदि कोई हो तो
क.	यदि उम्मीदवार व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है, और यदि उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या आरंभ हुई है या पूर्व में दोष सिद्ध हुआ हो, तो उसका ब्योरा दें या किसी किसी समय किसी व्यवसाय/व्यापार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो.
ख.	उक्त II (ख) और (ग) में सूचीबद्ध किसी उम्मीदवार और / या इकाई के विरूद्ध आर्थिक कानूनों और विनियमावली के उल्लंघन हेतु प्रलंबित या प्रारंभ या पूर्व में अपराधी ठहराए जाने के फलस्वरूप अभियोजन का ब्योरा, यदि कुछ हो तो.
ग.	उम्मीदवार के विरुद्ध लंबित, चलाए गए या दोष सिद्ध परिणत हुए आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा
ਬ.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970*** के खंड 10 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत उल्लेख की गई कोई भी अयोग्यता क्या उम्मीदवार पर लागू है ?
इ.	क्या उक्त II (ख) और (ग) की कोई भी इकाई या उम्मीदवार को किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के संदर्भ पर किसी जांच के अंतर्गत रखा गया है ?
च .	क्या उम्मीदवार किसी भी समय सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/विदेशी मुद्रा विनिमय/ अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधिक आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाया गया है; यदि ऐसा है तो विवरण दें.
ন্ত.	क्या उम्मीदवार/निदेशक ने किसी भी समय किसी नियंत्रक यथा सेबी, आईआरडीए, भारिबैंक, एमसीए, एफईएमए आदि से प्रतिकूल सूचना प्राप्त की है. (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नियंत्रक द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख किया जाए जो कि बाद में वापस ले लिए गए/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, तथापि ऐसी स्थिति में इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा जबिंक वापस लेना / समाप्त करना किसी तकनीकी कारण यथा पिरसीमन या न्यायक्षेत्र के अभाव आदि से हुआ हो और योग्यता के आधार पर न हो. यदि नियंत्रक के आदेश पर अस्थायी रोक लगी है और अपीलीय / न्यायालय की कार्यवाहियां प्रलंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए.



V.	मद क्र. I से IV के संबंध में अन्य कोई स्पष्टीकरण / जानकारी तथा पद के लिए 'उपयुक्त और उचित' स्थिति के निर्धारण हेतु सुसंगत समझी जाए	
	* कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें।	
	** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(40) और धारा 184 का संदर्भ लें।	
	*** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 का संदर्भ लें।	
में,	वचनपत्र	
सुपुत्र/स् अनुसार जोकि	पुप्रत्री/पत्नी पुष्टि करता/करती हूं कि सत्य और पूर्ण है। मैं बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में अपने निर्वाचन उक्त उपलब्ध कराई गई जानकारी से संबंधित है, उन्हें बैंक को यथासंभव शीघ्रता से के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अपेक्षित विधिक विलेख के निष्पादन क	के उपरांत संपन्न ऐसी समस्त गतिविधियों, पूर्णतः अवगत कराने का वचन देता हूं ।

स्थान:

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक:

- 1. जहां कहीं भी स्थान पर्याप्त न हो वहां कृपया कालानुक्रमिक रूप से और समुचित प्रतिसंदर्भ सहित जानकारी अनुबंध के रूप में संलग्न करें.
- 2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

नामांकन समिति के अवलोकन / अभ्युक्तियां :

नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर	नामांकन समिति के सदस्य के हस्ताक्षर
स्थान :	स्थान :	स्थान :
दिनांक :	दिनांक :	दिनांक :



(PDU FORM PRESCRIBED BY RBI)

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: Bank of Maharashtra

Affix passport size photo here

	Declaration & Undertaking by the Candidate with enclos	ures as appropriate as on2014
I.	Personal details of the candidate	
a.	Name in Full (in block capital letters)	
b.	Father's Name (in Full)	
C.	Date of Birth	
d.	Educational Qualifications	
	Educational /academic (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	Educational/professional (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
e.	Relevant Background and Experience (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank.)	
f.	Permanent Address	
G.	Present Address (For correspondence)	
h.	E-mail ID	
	Telephone Number (Landline)	
	Telephone Number (Mobile)	
i.	 Permanent Account Number under the Income Tax Act (please enclose a copy). Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. 	
j.	Relevant Knowledge and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
k.	Any other information which the candidate desires to furnish and relevant to the Directorship of the Bank	
II.	Relevant Relationships of the Candidate	
a.	List of Relatives of the candidate, if any, who are connected with the Bank in any way (Please refer to Section 6 and Schedule I-A of the Companies Act, 1956)*.	
b.	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)**.	
C.	List of entities in which the candidate is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	



d.	Directorship/Membership on the Board(s) of bank(s) during the past six years (Please give the name(s) of the bank(s), the relevant provisions of the Act under which the appointment/nomination was made and the period of holding such Membership/Directorship).	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by the candidate and/or by the entities listed at II (b) and (c) above from the bank.	
f.	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank of Maharashtra or any other bank.	
III.	Records of Professional Achievements	
a.	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the bank).	
IV.	Proceedings, if any, against the Candidate	
а.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/ she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations.	
C.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate including present litigation if any.	
d.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Companies Act, 1956 read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970***.	
e.	Has the candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax /foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
g.	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, RBI, MCA, FEMA, etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	



V.	Any other explanation / information and other information considered proper' status.			
* Ple	ase refer section 2(77) of the Compa	nies Act 2013.		
** Ple	ease refer section 2(40) and section	184 of the Companies Act 2013	3.	
*** P	lease refer section 164 of the Compa	nies Act 2013.		
		Undertaking		
bank the E	confirm that the above information i	s to the best of my knowledge of all events which take place s ation provided above.	and belief, t subsequent	rue and complete. I undertake to keep the to my election as a shareholder director of
i aisc	dindertake to execute the Deed of C	overlant required to be execut	ed by the bi	ilectors of the Dark.
Place):			
Date:				Signature of the Candidate
Enclo	osures:			
1.	Wherever space is not sufficient, pl cross reference.	ease attach the information as	annexure i	n chronological order and with appropriate
2.	Each pages (including annexure) are	e required to be signed by the	candidate.	
	Obse	rvations /Remarks of the Nomi	nation Comr	nittee:
Sign Mem	ature of Nomination Committee nber	Signature of Nomination Com Member	mittee	Signature of Nomination Committee Member
Place : Place :			Place :	



Date:

Date:

Date:



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

उपस्थिति पर्ची

(स्थल पर प्रवेश के समय सौंपा जाना है)

दिनांक : 26 जून 2014 समय : प्रात: 10.30 बजे

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

एतद्द्वारा मैं बैंक की वार्षिक साधारण बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं ।

·	**		
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपीआईडी	
		ग्राहक आईडी	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
	-%	यहां से कारें — — — –	_%



बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रवेश पर्ची

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखे जाने हेतु)

दिनांक : 26 जून 2014 समय : प्रात: 10.30 बजे

शेयरधारक/पॉक्सी/उपस्थित प्राधिकत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

स्थान : अप्पासाहेब जोग सभागृह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005

रानरवारनम् प्रानसाम् उत्तरनस्य माल्युस्स	ann na ar gernare		
पंजीकृत फोलियो		डीपी आई डी	
		ग्राहक आई डी	
यदि बेकागजीकृत नहीं है		यदि बेकागजीकृत है	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

शेयरधारकों / प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को हॉल में प्रवेश करने के लिए बैंक के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत हस्ताक्षर कर प्रवेश पर्ची के साथ प्रस्तुत करें. तथापि आवश्यक समझे जाने वाले सत्यापन/जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. किसी भी स्थिति में बैठक के प्रवेश स्थल पर उपस्थिति पर्ची की अनुलिपि जारी नहीं की जाएगी.





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ATTENDANCE SLIP

(To be handed over at the time of entry to the Venue)

Date : June 26, 2014 Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

I hereby record my presence at the Annual General Meeting of the Bank.

, ,,						
Signature of the Shareholder / Proxy /						
Authorised Representative present						
Regd. Folio		DP ID				
		Client ID				
If not Dem	naterialised	If Demat	erialised			
Name of the Shareholder						
Number of Shares held						



BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Date : June 26, 2014 Time : 10.30 A.M.

Venue : Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

Signature of the Shareholder /	Proxy /		
Authorised Representative pres	sent		
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
If not Dem	aterialised	If Dema	terialised
Name of the Shareholder			
Number of Shares held			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank along with the entry pass for admission to the venue. The admission will, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry pass will be issued at the entrance to the meeting.





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो संख्या		डी.पी.आई.डी. क्र.			
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)		ग्राहक आई.डां.			
	(याद बकागजाकृत नहां हं)		(यदि बेकाग	ाजीकृत है)	
मैं/हम		निवार्स	ì		
	जिला	राज्य			
	शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती				
निवासी	जिला	राज्य	को	ा, अथवा इनके न	ा होने पर, श्री/श्रीमती
			जिला		
राज्य	26 जून 2014 को प्रातः 10.30 बजे अप्प	गसाहेब जोग हॉल, बैंक	जॉफ महाराष्ट्र, ल	तोकमंगल, 1501	, शिवाजी नगर, पुणे
411 005 में होने वाली	बैंक ऑफ महाराष्ट्र की असाधारण आम बैठक	_ह में या <mark>उसके स्थ</mark> गित	। होने पर होने वा	ली बैठ क में अ	पनी/ हमारी ओर से
वोट देने के लिए प्रॉक्स	ो के रूप में नियुक्त करता/ करती हूं.				
दिनांक 2014व	2014को हस्ताक्षरित			₹1/- का	
2011	THE CONTRACTOR			राजस्व टिकट	
				लगाएं	
(प्रॉक्सी के हस्ताक्षर)			(प्रथम शेयरधारक/ए	कमात्र शेयरधारक	के हस्ताक्षर)
नाम:					
पता:					
	मॉर्सी कॉर्म मा सारकार का	ਹੇ ਤ ਹ ਰੇ ਤਰੀ ਜ਼ਰੂ	मंत्रंकी अस्तरेका		

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने व उसे दर्ज करने संबंधी अनुदेश

- 1. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि, -
 - क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो,
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में पहले नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो.
 - ग) निर्गामित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किए गए हो. यह नोट किया जाए कि प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि / अधिकार के रूप में उसकी नियुक्ति के संकल्प की एक प्रति जो कि बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में संलग्न की जाए.
- 2. प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए यदि कोई शेयरधारक किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो जब उस पर उसके अंगूठे का निशान लगाया गया हो और उसका अधिप्रमाणन किसी न्यायाधीश या मॅजिस्ट्रेट या ऐश्योरेंस के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अथवा राजपत्रित सरकारी अधिकारी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो.
- 3. प्रॉक्सी फॉर्म
 - क. मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकारी (यदि कोई हो) जिसके अधीन उस पर हस्ताक्षर किया गया हो या
 - ख. किसी नोटरी पब्लिक अथवा किसी मॅजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित मुख्तारनामे या प्राधिकार की एक प्रति के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पूर्व अर्थात **शनिवार दिनांक 21 जून 2014** के समापन समय से पहले अर्थात दोपहर 2.00 बजे तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे 411 005 में जमा किया जाए.
- 4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक की उस पर विधिवत स्टैम्प न लगाया गया हो.
- 5. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अपरिवर्तनीय व अंतिम होगी.
- 6. यदि कोई प्रॉक्सी लिखत दो ग्राहियों के पक्ष में दी गई हो तो एक से अधिक फॉर्म का निष्पादन नहीं किया जा सकता.
- 7. एक प्रॉक्सी लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को उस असाधारण आम बैठक में स्वयं मत देने की अर्हता नहीं होगी, जिससे ऐसी लिखत संबंधित है.
- 8. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप नियुक्त नहीं किया जा सकता जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अधिकारी या कर्मचारी हो.
- 9. नियुक्त किए गए किसी भी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune - 411 005.)

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the shareholders)

Regd .Folio No.		DP ID No.		
		Client ID No.		
l	f not Dematerialised		If Dematerialised	
100/				* 0
	resident(s) of			
	in the State of			
	ra, hereby appoint Shri / Smt			
	in the State of			
Shri/Smt	resident of		in the district of	
in the State of	as my / our proxy	to vote for me / us	and on my/our behalf at	the Annual Genera
Meeting of the Sharel	holders of Bank of Maharashtra to be held	on June 26, 2014 a	t 10.30 a.m. at Appasahe	b Joag Hall, Bank o
Maharashtra, Head C	Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pu	ne 411 005 and at a	any adjournment thereof.	-
·	, , ,			
Signed this	2014.			
Name				
Address			Please	e
/ tdd1033	••••••		affix ₹ 1	1/-
			Revenu	ue
			Stamp	
			Starri	<u>, </u>
Signature of	f Proxy	(Sign	ature of the first named/s	sole shareholder)

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. In the case of an individual shareholder, it is signed by the shareholder or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - b. In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 - c. In the case of a body corporate, signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing in meet. It is to be noted that a copy of resolution appointing him/her as a duly authorized representative /power to appoint a Proxy,certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached
- 2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
- 3. The Proxy together with
 - a) The power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) A copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Bank of Maharashtra with the General Manager,FMA, Bank of Maharashtra, Head Office, 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune 411005, not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of 02.00-P.M on Saturday, the 21st June 2014
- 4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- 8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Maharashtra.
- 9. The Proxy appointed will not have any right to speak at the Meeting.





(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

संदर्भ क्र एएक्स1/आईएसडी/हरितपहल/2014-15

स्थान : पुणे

दिनांक : 16 मई 2014

प्रिय शेयरधारक,

विषय : निगमित अभिशासन में हरित पहल – ई-मेल आईडी हेतु अनुरोध

- 1. निगमित मामले मंत्रालय (एमसीए) ने निगमित अभिशासन में "हरित पहल" करते हुए कंपनियों को अपने शेयरधारकों को नोटिस / दस्तावेज / अन्य संप्रेषण इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजने की अनुमित दी है.
- मंत्रालय के इस कदम से कागज की खपत कम होगी, जिससे पेड़ कटने से बचेंगे, जो हरित पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान होगा. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा दस्तावेज/संप्रेषण भेजने से लागत में तो पर्याप्त बचत होगी ही, साथ ही, डाक में इनकी गुमशुदगी को टाला जा सकेगा और इनका तत्पर संप्रेषण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों में आपका बहुमूल्य सहयोग प्रार्थनीय है।
- 3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं िक अब से सभी संप्रेषण/दस्तावेज जैसे आम सभा की सूचना, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सिंहत वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, जमा िकए गए लाभांशों की एनईसीएस सूचनाएं, आदि आपके ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जो आपके द्वारा/ आपके डिपोजिटरी द्वारा हमें उपलब्ध करवाया गया है।
- 4. अतः हम आपसे निम्नानुसार अनुरोध करते हैं :
 - अगर आपके पास डीमैट फॉर्म में शेयर हों तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपके निक्षेपागार सहयोगी (डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट) के पास आपका अद्यतन ई-मेल आईडी हो.
 - अगर आपके पास भौतिक (फिजिकल) फॉर्म में शेयर्स हों तो अनुरोध है कि अपना ई-मेल आईडी अद्यतन कराने के लिए हमे हमारे उपर्युक्त पते पर या हमारे रजिस्ट्रार्स व शेयर अंतरण एजेंट एमसीएस लिमिटेड को निम्नलिखित पते पर लिखें :
 - एमसीएस लिमिटेड, (यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) कार्यालय क्र. 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास भवन, 5, पी. डिमेलो रोड, (घडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई पिन 400 009. टेलिफोन : (022) 2372 6253-56, फैक्स : (022) 2372 6252 ई-मेल : uday_mcs@yahoo. in
 - कपया जानकारी इस प्रकार दें :
 - i) फोलियो क्रमांक/डीपी आईडी-ग्राहक आईडी :
 - ii) प्रथम/एकमात्र शेयरधारक का नाम :
 - iii) ई-मेल आईडी :
 - iv) टेलीफोन/मोबाईल क्रमांक
 - प्रथम/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर
- 5. इस संबंध में मांग करने पर आप उपर्युक्त मद क्र. (3) में सूचित संप्रेषण/दस्तावेज की भौतिक प्रतियां, भी प्राप्त करने हेतु पात्र हैं. ये दस्तावेज बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर निश्चित तिथि से पूर्व भी उपलब्ध होंगे तथा इसकी भौतिक प्रति निरीक्षण हेतु हमारे निवेशक सेवाएं विभाग में कार्यालय समय के दौरान भी उपलब्ध होगी.
- 6. कृपया उपर्युक्त जानकारियों में हुए परिवर्तनों को निवेशक सेवाएं विभाग/एमसीएस लिमिटेड या अपने निक्षेपागार सहयोगी के साथ अद्यतन करें.

सधन्यवाद.

भवदीय,

महापतंधित

वित्तीय प्रबंधन व लेखा





BANK OF MAHARASHTRA

(Head Office: 'Lokmangal', 1501, Shivaji Nagar, Pune – 411 005.)

Ref.No.AX1/ISD/Greenin /2014-15 Place : Pune

Date : May 26, 2014

Dear Shareholders.

RE: Green Initiative in Corporate Governance- Request for Email ID

- 01. The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken the "Green Initiative in Corporate Governance" thereby allowing companies to send notices / documents / other communications to their shareholders through electronic mode.
- 02. This move by the Ministry is going to reduce the consumption of paper and thereby save trees, which would significantly contribute to the cause of green environment. Besides saving substantially on the cost front, sending documents/ communications by electronic mode also ensures prompt communication without their loss in transit. We solicit your valuable support in our efforts to contribute to this cause.
- 03. We now would like to inform you that henceforth all future communications/ documents, like Notices of General Meetings, Annual Reports including Audited Financial Statements, Directors Report, Auditors Report, NECS intimations of dividend credited etc. will be sent to you in electronic mode at the e-mail address provided by you/made available to us by your Depositories.
- 04. We therefore request you as under:
 - In case you are holding shares in Demat form, please ensure that your e-mail Id with your Depository Participant is an updated one.
 - In case you are holding shares in physical form, you are requested to write to us at our above address or to MCS Ltd, our Registrars and Share Transfer Agents, at the address given below to update your e-mail ld:

MCS Ltd., (Unit: Bank of Maharashtra) Office No21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Building, 5, P.D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai: Pin:400 009. Tel (022)2372 6253-56, Fax: (022) 2372 6252 e-mail: uday_mcs@yahoo.in

- The information may please be given as under :
 - I. Folio No./DP ID-Client ID
 - II. Name of the First/Sole Shareholder :
 - III. E-mail ID :
 - IV. Telephone/Mobile No. :
 - V. Signature of the first/sole shareholder
- 05. You are also entitled to physical copies of the communication/ documents said in (3) above, upon requisition in this regard.

 These documents will also be available on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in prior to the mandatory date and physical copy will also be available for inspection during office hours at our Investor Services Department.
- 06. Please update the changes in said details with the Investor Services Dept/MCS Ltd or with your Depository Participants.

Thanking you,

Yours faithfully,

General Manager

Financial Management & Accounts.



(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए) **एमसीएस लिमिटेड**

यूनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आफिस क्रमांक २१/२२ ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बिल्डिंग ५, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोदी) मस्जिद (पूर्व) मुंबई - ४०० ००९ फोनः (०२२) २३७२ ६२५३ ५६ फैक्स : (०२२) २३७२ ६२५२

प्रिय महोदय.

विषयः बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इंक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रों पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ईक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान करने का अनुरोध करता हूं / करते हैं और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किया जाए. (For Shareholders holding shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.
Phone (022) 23726253 Fax (022) 23726252

Dear Sir.

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra in physical form.

I / We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Shareholder's name
2.		रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	Registered Folio No.
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account
	क. a.	बैंक का नाम	Bank Name
	ख. b.	शाखा नाम	Branch Name
	ग. с.	शाखा का पता	Address of the Branch
	घ. d.	टेलीफोन क्रमांक और फैक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number
	ङ e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank
	ਹ. f.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकद साख, कूट क्रमांक 10/11/13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)
	छ. g.	खाता क्रमांक जैसा चेक बुक पर अंकित है*	Account Number as appearing on the Cheque Book*

(उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक या अपने कोरे चेक की या आपके खाता पासबुक के अगले पेज की फोटो कॉपी संलग्न करें)

मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं /हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे. मैं/हमने समझ लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमें देय लाभांश भौतिक रूप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार स्ररक्षित है.

भवदीय,

दिनांक :

(प्रथम / एकल शेयरधारक के नाम और हस्ताक्षर)

नोट :

- यदि आपके पास इलेक्ट्रानिक (डीमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध हैं तो कृपया अपने बैंक का विवरण सीधे डिपाजिटरी सहभागी को उपलब्ध कराएं.
- 2. ईसीएस सुविधा वर्तमान में निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है :
 - आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बडौदा, बेंगलूर, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेमै, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालीयर, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, जालंधर, जामनगर, जम्मू, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मेंगलोर, मुंबई, नागपुर, नासिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, रायचुर, रायपुर, राजकोट, सोलापुर, सूरत, तिरूवनन्तपुरम, त्रिपुर, उडपी, विजयवाझ, विशाखापट्टनम.
- उराष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश को भुगतान की केन्द्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीएस केन्द्रों पर उपलब्ध कराती है. अतः हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि नए ईसीएस दावों को, यदि कोई हों तो, सीबीएस बैंक खाता संख्या के साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक को इससे अद्यतन किया जा सके. जो शेयरधारकों के पास शेयर भौतिक रूप में रखे हैं वे विधिवत्त भरे हुए प्रारूप को रिजस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दें. जिन शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में शेयर हैं उन्हें अपना अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी (डीपी) को भेजना चाहिए.

(*Please attach a cancelled blank cheque or photocopy thereof or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

Date:

(Name and signature of First / Sole Shareholder)

Notes:

- In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
- 2. The ECS facility is available at present at the following centres:
 - Agra, Ahmedabad, Amritsar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Solapur, Surat, Thiruvanthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Visakhapatnam.
- 3. National Electronic Clearing Services (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the Mandate to their respective Depository Participant (DP).

बुक - पोस्ट

BOOK-POST

सेवा में,		
То		

सुपुर्द न होने पर कृपया लौटाएं: मेसर्स एमसीएस लि. यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिस नम्बर 21/22, तल मंजिल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5 डिमेलो रोड (घड़ियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई - 400 009 If undelivered please return to:

M/s. MCS Ltd.

Unit: **Bank of Maharashtra**Office No. 21/22, Ground Floor,
Kashiram Jamnadas Building,
5 D'Mello Road (Ghadiyal Godi)
Masjid (East), Mumbai 400 009.



एक परिवार एक बैंक